

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 153वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 153वीं बैठक दिनांक 15/09/2023 को पूर्वान्ह 10:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य संघिव का स्वागत किया गया। उपरात एजेंट्सार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेंट्स आयटम क्रमांक-1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। उक्त कार्यवाही विवरण के निम्न प्रकरणों में शुद्धि पत्र (compendium) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. एजेंट्स आयटम क्रमांक-3 अंतर्गत पृष्ठ नमांक 109 पर प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार अंतर्गत निर्णय ने:-

“प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.बी. का गठन पर्यावरणीय हितों की लक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है।

के स्थान पर

प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.बी. का गठन पर्यावरणीय हितों की लक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है।

पढ़ा जाये।”

2. एजेंट्स आयटम क्रमांक-5 के प्रकरण क्रमांक 1 के पृष्ठ नमांक 141 पर टकित निर्णय:-

“1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

के स्थान पर

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change / transfer of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

पढ़ा जाये।”

3. एंजेञिंग आयटम क्रमांक-5 की प्रकरण नमांक 2 के पृष्ठ नमांक 143 पर दर्शित निर्णयः—

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Multi to Lakhadatar Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

के स्थान पर

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change / transfer of name from Hind Multi to Lakhadatar Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

एदा जाये।"

4. एंजेञिंग आयटम क्रमांक-5 की प्रकरण नमांक 3 के पृष्ठ नमांक 144 पर दर्शित निर्णयः—

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Clean Coal to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

के स्थान पर

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change / transfer of name from Clean Coal to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

एदा जाये।"

एंजेञिंग आयटम क्रमांक-2

राजस्व स्वारीय विशेषज्ञ मूल्याकांन नामिति, छत्तीसगढ़ की 471वीं एवं 472वीं बैठक क्रमांक: दिनांक 26 / 06 / 2023 एवं 27 / 06 / 2023 की अनुसारा के आधार पर गोण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिखा जाना।

1. गेशवर मंदिर हसीद लाईम स्टोन चाहरी (प्रौ.- श्रीमती सांगीता अचावाल), ग्राम—मंदिर हसीद, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर (संचिवालय का नमांक 2269)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/ 409648 / 2022, दिनांक 06 / 01 / 2023 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में लानियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16 / 01 / 2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लानियाँ जानकारी दिनांक 20 / 01 / 2023 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबंधित कूना पल्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—मंदिर हसीद, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर स्थित छासन क्रमांक 654 / 1, 654 / 2 एवं 657 / 14(पाई), कूल क्षेत्रफल—1.676 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तमता छासन—13.210 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उल्लीकरण के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के सभा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। अतः आगामी आधोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्त्वावधि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में याही गई वाइस जानकारी एवं समर्त सुझाव जानकारी / प्रस्तावज्ञ सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उल्लीकरण के ज्ञापन दिनांक 23/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/05/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 26/05/2023 द्वारा जानकारी अपूर्ण होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार किम्ही उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुये अधिकृत प्रकरण को फि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संघन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / जानकारी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किम्ही उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को फि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। जाश्ह ही प्रस्ताव को गतीमान में प्राप्त प्राप्ति में यथावत फि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक की यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी है.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (वस्त्र संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गर्भांशसाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसरी मी गुरु मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माइन, पाटनर- श्री हेमत कुमार सिंह), ग्राम- किरारी, तहसील-अकलता, जिला-जाजगीर-बांपा (संचिवालय का नस्ती दिनांक 2280)

अंगलाईन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 415192/ 2023, दिनांक 20/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित छूना पत्थर (गोल खनिज) लदान है। लदान ग्राम- किरारी, तहसील-अकलता, जिला-जाजगीर-बांपा सिवत खासा क्रमांक

729/2, 729/3 एवं 729/6, कुल क्षेत्रफल—1,043 हेक्टेयर में प्रतिवादित है। खदान की आवेदित उत्तराधिन लम्बाई—50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

कैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पश्च दिनांक 20/03/2023 हारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति की सम्मानीय बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना सम्भव नहीं है। अतः आगामी आधोजित बैठक में रागय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति हारा उत्तराधिन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में याही गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी भुनेश्वर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति हारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी तथा अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्फीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्फीकृति जारी नहीं की गई है।
2. शाम प्रधायता का अनापलित प्रमाण पत्र— उत्तराधिन की संसंघ में राम प्रधायता किंवद्दि का दिनांक 11/06/2022 का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराधिन घोषना— न्यू क्यार्सी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्यारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सामिनियिका अधिकारी, जिला-कोरड़ा के ज्ञापन क्रमांक 3310/खनिज/न.क्र./2022-23 कोरड़ा, दिनांक 21/12/2022 हारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान— कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-छापा के ज्ञापन क्र. 165/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर ऊपरियत 74 खदानों क्षेत्रफल 120.517 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होन्हे/सार्वधनाएँ— कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-छापा के ज्ञापन क्र. 184/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होन्हे जैसे मंदिर, भवित्व, भवन, फूल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिवादित होन्हे निर्धारित नहीं है।
6. एलओआई, संबंधी विवरण— एलओआई मैसारे भी गुरु मिनरल्स (पार्टनर-भी हैमल कुमार सिंह) के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),

जिला—जांजगीर—छापा के छापन क्र. 2793/मौज स्थिति/नंक./2022-23  
जांजगीर, दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. भू—स्वामिलक — भूमि मेसर्स थी गोपाल हट्टर प्राईजेस किंवदी (पाटनर—थी सुभन कुमार) की नाम पर है। उत्तमतम हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय उत्तमांडल अधिकारी जिला—जांजगीर—छापा के छापन छापांक/तकांकी/4949 घापा दिनांक 04/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 10.3 कि.मी. दूर है।
10. महरचपूर्ज संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी गाम—किंवदी 950 मीटर एवं बकूल गाम—किंवदी 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राजमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। बत्ताती नाला 20 मीटर, नहर 375 मीटर एवं तालाब 900 मीटर दूर है।
11. परिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अभयास्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 8,01,500 टन, मार्गिनेशल रिजर्व 4,44,555 टन एवं रिकार्डरेक्स रिजर्व 4,35,663 टन है। लौज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तमन के लिए प्रतियोगित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,813 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेकेनाईज़ल विधि से उत्तमन किया जाएगा। उत्तमन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लौज क्षेत्र की भौतिक ऊपरी फिटटी अवशिष्ट नहीं है। बेच की ऊबाई 3 मीटर एवं छीकाई 3 मीटर है। उदान की संभावित आयु 8.71 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लौज क्षेत्र में कालर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खादान में कायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उत्तेजकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्तमन का विवरण निम्नानुसार है।

क्षेत्र	प्रस्तावित उत्तमन (टन)
प्रस्ताव	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पक्षम	50,000

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाति 5 पर्यामीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति एकोल एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दरतावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. कृषारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में यारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 281 नग कृषारोपण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में यारी और 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 800 नग कृषारोपण हेतु 5 से 6 फीट कंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित) सुरक्षा हेतु अंशिग खाद एवं शिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पट्टकार व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्कनन – लीज क्षेत्र की यारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,813 वर्गमीटर है, जिसमें से 963 वर्गमीटर खदान 2 मीटर की गहराई तक उल्कनित है। जिसका उल्केला अनुमोदित बदामी खदान में किया गया है। प्रतिवधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्कनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ती का उल्कनन है। अतः जीव उपरान्त निम्नानुसार आवश्यक कारबाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्केलानीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग ड्राइवर्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। ऐन ग्रान्ट विवरण (viii) के अनुसार—

*"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."*

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नाईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जीन में कृषारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिसियल बैच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेद पार्ट्स विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसेजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किए गए उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार विवरण यथा—

- कार्यालय कर्तेक्टर (विनिज शाखा), विना-जाजगीर-शाहपा के द्वापर नं. 185 / गौण सुनिज / न.क. / 2022-23 जाजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 74 खदानों क्षेत्रफल 120.617 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-किराई) का रकमा 1643 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-किराई) की मिलाकर कुल रकमा 122.16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संधारित खदानों का

कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का इलावतर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. लाईन लीज क्षेत्र के बारों और 7.5 मीटर लीडे सेप्टी जॉन के कुछ भाग में जिसे गये उत्थानम के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) की संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर लाईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्थान प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्पूर्ण उपायों वापर संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतीचियों 7.5 मीटर बीही सीमा पट्टी में अंतिम उत्थानम यारे जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यालयी लिये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यालयी लिये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा प्रियार विभागी उपरांत सर्वेसम्मति से प्रकरण 'बी' क्षेत्रगति का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टन्स ऑफ रिकरेस (टीओआर) और ई.आई.ए. / ई.एग.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्टस/एकटीडिटीज रिजार्वरिंग इन्डियरमेंट बलीयरेस अपहर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में यन्त्रित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनावाई सहित) नोन लोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ यारी लिये जाने वी अनुशासा की गई –
  - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - v. Project proponent shall submit the partnership deed.
  - vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies. Nearby water tanks, rivers & nalla shall be protected.
  - viii. Project proponent shall submit the conservation plan of small nalla which is very near to the mine lease area.
  - ix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
  - x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs. Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को सम्पन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभासि लुपतांत सर्वेसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अनुशासित अतिरिक्त टी.ओ.आर. के शर्ते में निम्न सहोधन किया गया-

"4(vii) Project proponent shall submit the conservation plan of small nalla which is very near to the mine lease area." के स्थान पर "4(vii) Project proponent shall submit conservation plan for all water bodies (including small nallah) which are near / close to the mine lease area." पढ़ा जाये।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि—

- (i) माईन लीज क्षेत्र के बासी और 7.5 मीटर छोड़ सेफ्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी सापादी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अदर माईनिंग किटाकलाएँ के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षान्वयन आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
- (ii) प्रतिशत 7.5 मीटर छोड़ सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माईन लीज क्षेत्र के बासी और 7.5 मीटर छोड़ सेफ्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को लाति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बड़ल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सीहिंस) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बड़ल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. बेसर्स घनश्याम देवांगन (भारागांव सॉइल/ऑफिनरी बसे कारी), दाम-भारागांव, लाहसील व जिला-राजनांदगांव (संविवालय का नम्बर छनांक 2103)

ऑफिलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275252/ 2022, दिनांक 09/ 07/ 2022 द्वारा पर्यावरणीय समिति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्तावक का विवरण — यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गोल खनिज) खदान एवं विनाश किमनी हृष्ट उत्पादन इकाई है। खदान दाम-भारागांव, लाहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पाटे ऑफ खत्तरा छनांक 117 एवं +20, कुल क्षेत्रफल — 1,032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/ 11/ 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण —

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/ 11/ 2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम देवांगन, प्रोप्राइटर उपसेवता हुए। समिति द्वारा नम्बी, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित लौज होड में कैवल मिट्टी उत्थानन का कार्य किया जाएगा एवं विनामी संशोधित नहीं जी जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष कोर्ट में चुटि सुनार करने हेतु ऑनलाइन में एडीएस जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा उत्थानय सर्वेसम्भवति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को कोर्ट में चुटि सुनार करने एवं विनामी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाइन में प्रस्तुत करने हेतु एडीएस (Additional Document Specification) जारी करने के पश्चात् प्राप्त जानकारी / दस्तावेज़ प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिषेक्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2023 को जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिः पाई गई—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोर्ट में चुटि सुनार कर एवं प्रस्तावित लौज होड में कैवल मिट्टी उत्थानन का कार्य किये जाने का बहुत (विनामी को हटाते) हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्थानय सर्वेसम्भवति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समक्ष सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनरथाम देवोगन, प्रौद्योगिक उपसिधत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिः पाई गई—

1. पूर्ति में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्करी विवरण— इस खदान को पूर्ति में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. द्वाम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्थानन को संबंध में द्वाम पंचायत मालागाव का दिनांक 06/08/2021 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्थानन योजना — जारी प्लान (एलांग विधि इन्डास्ट्रीजेट मैनेजमेंट प्लान एन्ड कारी बलोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक, जिला-दुर्ग के ज्ञापन नं. 1577/खनि/अनु-01/2022 दुर्ग, दिनांक 13/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कायालय कलेक्टर (खनि शासा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन नमांक 2007/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 की अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवशिष्ट अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संचालनारूप – कार्यालय कलेक्टर (खानि शाखा), जिला-राजनांदगांव के इापन क्रमांक 2007 /ख.लि. 02 /2021 राजनांदगांव, दिनांक 22 /11 /2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होठ जैसे पुल, रेल सड़ीन, नाल, बांध, एनीकट, घरन, रक्कूल, अस्पताल, बाटर सहस्त्राई परियोजना, मॉटर बिल्ड गुरुद्वारा, बरधट, दार्शनिक स्थान इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एलओआई का विवरण – एलओआई श्री उनक्षयम देवागन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खानि शाखा), जिला-राजनांदगांव के इापन क्रमांक 1708 /ख.लि. 02 /2021 राजनांदगांव, दिनांक 13 /10 /2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक ही। तथ्यशाल एलओआई की वैधता दृष्टि बावत् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकम् नवा रायपुर अटल नगर के इापन क्र. 5645 /खनि 02 /तथा-अनु. निया /न.क्र. 50 /2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28 /10 /2022 के अनुसार 'उत्तीर्णगढ़ गौण खनिज नियम, 2015' में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26 /06 /2020 (प्रकाशन दिनांक 30 /06 /2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक की प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण रक्षीकृति प्राप्त करने एवं तथ्यशाल उत्खनिपटा स्थीकृति आदेश जारी करने हेतु अंतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" हेतु बताया गया है।
7. भू-स्थानित – भूमि श्री निश्चलेश्वर दास के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमठल अधिकारी, राजनांदगांव बनमठल, जिला-राजनांदगांव के इापन क्र./गाँव/न.क्र. 10-1 /7386 राजनांदगांव, दिनांक 10 /09 /2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र नीमा से 6 कि.मी. दूर है।
10. महत्वपूर्ण संरक्षनार्थी की दूरी – निकटतम आसादी याम-भाटागांव 100 मीटर, रक्कूल याम-भाटागांव 150 मीटर एवं अस्पताल सोमनी 6.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। लालोब 110 मीटर एवं शिवनाथ नदी 800 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्रक्षीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयानाय, औन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जिटिकली पील्युटेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संघरा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,640 घनमीटर, नाईनेश्वर रिजर्व 14,658 घनमीटर एवं रिकाहरेश्वर रिजर्व 13,192 घनमीटर है। तीज की 1 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 668 घनमीटर है। औपन कास्ट मैन्यूअल विहि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम यहराई 2 मीटर है। बेंध की ऊंचाई 1 मीटर एवं छोड़ाई 1 मीटर है। इट निमांण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐसा कम उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। एक लाल

इट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिपकात्व किया जाएगा। अनुमोदित वसारी पकान अनुसार वर्षावार प्रस्तावित उत्कृष्णन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्कृष्णन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चतुर्थ	1,000
पंचम	1,000

13. जल आधूति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आधूति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल प्राहृष्ट बीटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कृषारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 150 नग कृषारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रध्यन वर्ष में कुल राशि 68,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,61,800 रुपये हेतु घटकन्वार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. गैर माईनिंग बोर्ड — स्टीक बाड़, रेस्ट सेल्टर एवं स्वाइंल फ्रॉसेसिंग हेतु कुल 2,000 वर्गमीटर बोर्ड को गैर माईनिंग बोर्ड दखाया गया है, जिसका उल्लेख वसारी पकान में किया गया है।
16. कौर्पिरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के राग्रह प्रिस्तार से यर्धा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby Village-Bhathagaon	
			Pavitra Van Niran	2.566
			Total	2.566

सी.ई.आर के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' के तहत (नीम, आम, जामून, कटहल, कदम, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 30,500 रुपये, फैसिंग की लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रध्यन वर्ष में कुल राशि 94,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,62,100 रुपये हेतु घटकन्वार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यान पकान भाडागाव के राष्ट्रगति उपरांत यात्रायार्थ

खान (खासा क्रमांक 899, क्षेत्रफल 3.763 हेक्टेयर में रो 0.26 हेक्टेयर) के गवाह में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. शाम—भाठागांव, तहसील व जिला—शाजनांदगांव के खासा क्रमांक 714/2 रकमा 0.028 हेक्टेयर, खासा क्रमांक 714/5 रकमा 0.11 हेक्टेयर एवं खासा क्रमांक 714/6 रकमा 0.291 हेक्टेयर अवृत्त बुल रकमा 0.429 हेक्टेयर भूमि भी छोड़ीराम देवांगन की नाम पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त भूमि गैरिमाल हेतु निम्नी प्रस्तावित किये जाने वाला भी केशोराम देवांगन से किये गये सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त भूमि से आवादी क्षेत्र और फलों के बानों से न्यूनतम दूरी तथा उक्त भूमि से अन्य इट भट्टी की न्यूनतम दूरी के संबंध में जानकारी के एमएल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आशय पत्र में उल्लेखित क्षेत्र हेतु नीचे उल्लिखन योजना प्रस्तुत किया गया है, जो भीतर समिति के निर्देशी का पालन करते हुए बस्ती एवं बाम बनीजी से न्यूनतम 800 मीटर दूरी पर निम्नी स्थापित करने तथा उस क्षेत्र की पृथक से नियमानुसार शासकीय कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त करने पर्याप्त ही उत्पादन प्राप्ति किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहकरी और 1 मीटर क्षेत्र में सधन वृक्षारोपण किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित बृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सहम अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. पर्याप्तिव डस्ट उत्पादन के नियमण हेतु नियमित जल छिपकाव किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पौधों का जीर्णावृल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनेंसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाहुण्डी पिल्लरी द्वारा सीमाकान का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल स्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. शाम पंचायात द्वारा प्रदल्ल शासकीय भूमि ने सीईआर के अनामित किये जाने वाले वृक्षारोपण का कम से कम 5 वर्षी तक देखा रखा किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. उत्तीर्णगढ़ आदर्श युनवीस नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आवादी क्षेत्र के निवासियों जो शोजगार में प्राधिकाला दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संघर्ष पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलम्ब इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संघर्ष पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलम्ब भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का आ अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रयत्नण लंबित नहीं है।
29. सी हुआर एवं मुक्तारीपन कार्य के मौनिटरिंग एवं पर्योग्य हेतु कि-पक्षीय समिति (ओपराइटर/प्रतिनिधि, राम पंचायत की पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसमग्र पर्यावरण संचालन मण्डल की पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नहिं किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी हुआर एवं मुक्तारीपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरात गठित कि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
30. मानवीय एन.जी.टी., शिविल बेंग, नई दिल्ली द्वारा सत्येन्द्र पाण्डेय विलम्ब भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance
- समिति द्वारा विचार दिमार्ह उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया—
- कार्यालय कलेक्टर (खनि खाता), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2007 / ख.लि. 02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर की भीतर आवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (राम-भाठागांव) का रकमा 1.032 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिसीम में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
  - राम-भाठागांव, तहसील व ज़िला-राजनांदगांव की खसता क्रमांक 714/2 रकमा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकमा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकमा 0.291 हेक्टेयर असूत् कुल रकमा 0.429 हेक्टेयर भूमि से आवादी क्षेत्र और फली के बागी से व्यूनतम दूसी तथा अन्य ईट घटटी की व्यूनतम दूसी के संबंध में के एम.एल. सहित जागकारी एसड़ीआईएए. छत्तीसगढ़ में अनिवार्य काय से प्रस्तुत किया जाए।
  - समिति द्वारा विचार दिमार्ह उपरात सर्वसम्मति से आवेदक — मेरामो घनश्याम देवाग्न (भाठागांव सीझैल/आँडिनी के क्वारी) की राम-भाठागांव, तहसील व ज़िला-राजनांदगांव के पाट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120 में स्थित निहटी उत्तरेनन (गौण खण्ड) खदान (दिना विननी भट्टा के), कुल क्षेत्रफल—1.032 हेक्टेयर, क्षमता—1,000 फनमीटर प्रतियार्थ हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुमति सा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संघम 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव अनुसार याम-भाटामाल तहसील ये जिला-राजनांदगांव के खसरा ग्रामांक 714/2 रक्का 0.028 हेक्टेयर, खसरा ग्रामांक 714/5 रक्का 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा ग्रामांक 714/6 रक्का 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रक्का 0.429 हेक्टेयर भूमि को वयविरक्तीय रक्कीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा एकत्र भूमि से आकारी शैल और फलों के बारी से न्यूनतम दूरी तथा अन्य इंट भट्टी की न्यूनतम दूरी के संबंध में केएमएल सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा ग्रामांक 714/2 रक्का 0.028 हेक्टेयर, खसरा ग्रामांक 714/5 रक्का 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा ग्रामांक 714/6 रक्का 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रक्का 0.429 हेक्टेयर में कच्चे इंटों की घकामे का कार्य किये जाने वाला शब्द पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।



- गेहरा अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन क्षारी माईन (प्रो.- श्री कमलेश भवनानी), याम-अकोलडीह खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (संविधाता का नस्ती ग्रामांक 2299)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्राप्तिगत नम्बर – एसआईए/ श्रीजी/ एमआईएन/ 418817 / 2023 दिनांक 03 / 02 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पर्यंत सो संचालित चूना पद्धति (गौण खनिज) खदान है। खदान याम-अकोलडीह खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा ग्रामांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 133, 134, 135, 136, 137, 146 एवं 147/1, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन कमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16 / 03 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

(अ) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21 / 03 / 2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिविधि उपरिक्षित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक की पत्र दिनांक 21 / 03 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के रामकालीकरण में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिक्षित होना समव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समव प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को यूं में याही गई वांछित जानकारी एवं समवत् सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी.. उत्तरीसंग्रह के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि चूलनेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपसिद्धत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में चूना पत्थर स्रावन खादान छातीक 118, 119, 120, 121, 122, 126 / 1, 127 / 2, 128 / 2, 133, 134, 135, 136, 137, 146 एवं 147 / 1, कुल क्षेत्रफल—4 हेक्टेयर, क्षमता—1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला संसाधन परिवर्तन समाधान नियंत्रण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 26 / 02 / 2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 26 / 02 / 2023 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 26 / 02 / 2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नगा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. नियंत्रित शतानुसार दूसारोंपर नहीं किया गया है।
- iv. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में पूर्व में किये गये उत्खनन की वास्तविक गात्रा की जानकारी हेतु कार्यालय कलोनटर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर में दिनांक 16 / 03 / 2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियालयीन है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 24 / 11 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सरलखनन योजना — क्षारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्षारी कलोनटर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि-प्रशा.)

जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-८/ई-प्रिविता/2017/1037  
रायपुर दिनांक 17/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 162/ख.लि./2023 रायपुर दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानों के जम्हाल 179,508 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सारबनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3008/कोपा/ख.प. /खना पल्ला/2022-23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 द्वारा जारी प्रभाग पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं मिल, मस्तिष्क मरम्बाट, पुल, मटी, रेल लाईन, अस्पताल, रक्कूल, एनीकट बाय एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भू-स्वामित्व – भूमि खासा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 147/1 वी कमलेश भवनानी एवं खासा क्रमांक 133, 134, 135, 136, 137, 146 श्रीमती लिंगिका भवनानी के नाम पर है। उत्कृष्ण हेतु भू-स्वामियों का सहमति पर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि काईनल है आई-ए रिपोर्ट के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज (वी-१, वी-२) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. लीज का विवरण – लीज वी कमलेश भवनानी के नाम पर है। लीज वीक 30 वर्षी अवधि दिनांक 24/03/2018 से 23/03/2048 तक की अवधि हेतु दें।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – तर्व 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रत्यावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम बन होते की दूरी की जानकारी हेतु कार्यालय बन मन्त्रालयिकारी, जिला-रायपुर में दिनांक 06/02/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम बन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी बाम-अकोलडीह खपरी 1 कि.मी., रक्कूल ग्राम-अकोलडीह खपरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 820 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 360 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर, नाला 400 मीटर, नहर 3.4 कि.मी. एवं रेहर मटी 18.3 कि.मी.दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रत्यावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अव्यापक और व्यापक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फ़िलटिकली पॉल्युटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन स्थेता एवं खनन का विवरण – परियोजनाका रिजर्व 24,50,000 टन, माझूनेवल रिजर्व 10,81,074 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 9,72,986 टन है। लीज

की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिवर्षित रेत) का औष्ठकल 9,544.57 कर्मचार है। ओपन कास्ट रोडी मैक्नार्ड्ज़ लिपि से उत्थानन किया जाता है। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा युत मात्रा 15,227.72 घनमीटर है। देश की ऊँचाई 3 मीटर एवं ऊँचाई 3 मीटर है। खदान की समावित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में ब्राह्म रस्तावित नहीं है एवं हस्ती रस्तापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिपाकाव किया जाता है। बर्बाद प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-

बर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)	बर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रथम	1,00,000	पश्चम	1,00,000
द्वितीय	1,00,000	सप्तम	1,00,000
तृतीय	1,00,001	अष्टम	1,00,000
चतुर्थ	1,00,001	नवम	1,00,000
पंचम	1,00,000	दशम	72,962.9

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्वीत एवं रक्षान प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में खासों और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,146 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में उत्थानन - लीज क्षेत्र के खासों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि पूर्व में आवेदक निससी घनसूती लाईन रेटीन क्यारी, प्री. श्रीमती सतिंदर कीर अरोڑा द्वारा बेसलाईन डाटा कलेवर्सन का कार्य दिसम्बर, 2022 से करवाई, 2023 के मध्य किया गया था। तासमय दिनांक 08 / 12 / 2022 को बेसलाईन डाटा कलेवर्सन की सूखना ही गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाला), जिला-राष्ट्रपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। उक्त आवेदित खदान उस कलस्टर का भाग है, जिसके लिए इआईए रटडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एककित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर इआईए रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति राजमत हुई।
17. माननीय एनपीटी, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंट पार्किंग विलास भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को परित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दीशित किया गया है:-

  - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार दिनशी उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार मिशन लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खण्डज शाखा), ज़िला—तायपुर के इापन क्रमांक 162 / ख.ति. /2023 रायपुर दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित ६८ खदानों के ओफल 179.508 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (आम—अकोलडीह) का रक्का 4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (आम—अकोलडीह) को मिलाकर कुल रक्का 183.508 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिस्थि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर से अधिक का वर्स्टर निर्दिष्ट होने की कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी जायी।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत परकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र सेवा किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार दिनशी उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' के दोनों तरफ के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टम्सी ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कीर इ.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट पॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीपिटीज विकासरित इन्वाइटेट वलीयरेस अन्धर इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में विभिन्न खेती 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई राहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - v. Project proponent shall submit the previous year production detail to till date from the mining department.
  - vi. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
  - vii. Project proponent shall submit the land (B-1, P-2) document.
  - viii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
  - ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीका प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संघन 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किसी उपरात सहसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- सभिति की उन्नुशासा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त जारी के अद्वीन टम्स ऑफ ऐक्टेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई संडिल) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:-

*"Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report."*

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यूवे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत दोब्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर सी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

- भूमि संबंधी दस्तावेज संसरा नक्शा (टी-1, पी-2) प्रस्तुत किये जाने के उपरात ही परियोजना प्रस्तावक को संशोधित टी.ओ.आर पत्र किया जाए।
- लीज फिल्म सी निकटतम बन होश की कास्टिंग दूसी संबंधी जानकारी, बन दिमाग से अनापस्ति प्रणाल पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरात ही परियोजना प्रस्तावक को संशोधित टी.ओ.आर पत्र किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तो तादानुसार सूचित किया जाए। इसकी ही एकीकृत कीमीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रामपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया जाए।

६. मेसर्स लक्ष्मार स्टोन कारारी (प्रो.- श्री देव कुमार पटेल), ग्राम-हरितनापुर, तहसील-मनेन्दगढ़, जिला-कोरिया (संधियालय का नम्रता नमाक 2318)

ऑनिलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ श्रीजी/ एमआईएन/ 411966 / 2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा दी ओआर हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवालित पत्थर (भीज स्थनिज) खदान है। ग्राम-हरितनापुर, तहसील-मनेन्दगढ़, जिला-कोरिया रिस्ता लक्ष्मा नमाक 199, कुल क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर में है। खदान की अवधिदित उत्तरांश छमता-20,416 टन प्रतिवर्ष है।

तादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए श्री, उत्तीर्णगढ़ के आपन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के सम्मा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना जागत नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वीसमिति से जिम्मेदारी की परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जाहीं गई काहित जानकारी एवं सम्मान सुनागत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

तादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए श्री, उत्तीर्णगढ़ के आपन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देव कुमार पटेल, प्रोनराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिम्न रिपोर्ट पाई गई-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

१. पूर्व में पत्थर खदान लक्ष्मा नमाक 199, कुल क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर क्षमता-20,416 टन (7,852 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला चलाई पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 20/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से ५ वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 19/03/2022 तक वैध रही।

भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई रिली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered

for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक बैठ थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक हाल पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सर्वों के पातन में की गई कार्यकारी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक हाल एकीकृत शोधीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पातन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. नियापरिता शतानुसार 220 नग वृक्षासेपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 64/खनिज/उ.प./2022 एन सी.बी. दिनांक 13/01/2023 हाल जारी प्रमाण पत्र अनुसार विश्व वर्षी में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्तरानन (घनमीटर)
2018	293
2019	2,944
2020	1,130
2021	1,656
दिसम्बर 2022 तक	110

समिति का मत है कि दिसम्बर 2022 के उपरांत किए गए उत्तरानन की वास्तविक नाप्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करावार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. याम पंचायत का अनापरिता प्रमाण पत्र – उत्तरानन एवं छक्कर के संबंध में याम पंचायत पिपरिया का दिनांक 07/07/2014 का अनापरिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योजना – क्षारी प्लान एलींग किंव बवारी कलोजर प्लान द्वितीय हन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3195/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2018 हाल अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 5 खदानों कोप्रफल 10.65 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023

एन.री.वी., दिनांक 13/01/2023 हाशा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त उदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी साईंजिक क्षेत्र या वैज्ञानिक, भौतिक, भौगोलिक, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बाध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निम्नित नहीं है।

6. भूमि एवं सीज का विवरण – यह सामर्थीय भूमि है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हाशा बताया गया कि लीज भी देव कुमार पटेल के नाम पर है। लीज छीड़ 30 वर्षीय अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु लैंच है। समिति का मत है कि फाइनल ईआईए रिपोर्ट के सभी लीज छीड़ की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनामप्रत्याहारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ बनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मार्गी/2014/1886 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/10/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-हसिलनापुर 1 कि.मी. एवं रकूल ग्राम-हसिलनापुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 2.5 कि.मी. दूर है। सोमाहारी बन क्षेत्र 5 कि.मी. एवं हसदेव बनक्षेत्र 4.5 कि.मी. दूर है।
10. पारिसंरक्षित/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक हाशा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, कन्दीय प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र हाशा घोषित किटिकली पील्लुटेल एवं चापा, पारिसंरक्षित/जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. सूनन संपदा एवं उन्नन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,65,589 टन, माईनिंगल रिजर्व 2,53,835 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,28,271 टन है। लीज की 7.5 मीटर छीड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.523 वर्गमीटर है। ओपन गास्ट सेमी मेकानाइज्ड विधि से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर एवं डिल लीक की औसत लंबाई 15 मीटर है। लपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है। देव की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं धीमाई 1.5 मीटर है। खादान की रासायिक आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कृषकर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,593 वर्गमीटर है। सादान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिड़काव वित्त जाता है। चर्चान प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	13,185.90	पछ्यम	17,160.00
द्वितीय	16,904.16	साप्तम	18,283.20
तृतीय	18,223.92	अष्टम	17,335.50
चतुर्थ	19,273.80	नवम	17,181.80
पन्थम	19,546.80	दशम	20,416.50

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 मीटरीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति रखते हुए सहम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज़ / जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. गृहारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पवित्रियों में 1,050 घम गृहारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की लौकी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के बासी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. माननीय एन.डी.टी. प्रिसिपल वैष् नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च याप्तेय प्रिसिपल भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- आयोत्तम कालेक्टर (छनिज शाखा), जिला-एम.सी.टी. के ज्ञापन क्रमांक 83/रघनिज/ल.प./2023 एन.डी.टी. दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानों, क्षेत्रफल 10.65 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-हरितनामुर) का रक्का 1.07 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-हरितनामुर) को गिलाकर कुल रक्का 11.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में रुक्षीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निमित होने के कारण यह खदान 'सी1' श्रेणी की भानी गयी।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का यातन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु यह लेख किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'सी1' के टेगरों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टम्स ऑफ रिकरेंस (टीओआर) फौर ईआई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एकीकृतीज रिक्वारेंसिं इन्वायरमेंट क्लीरेंस अप्पर ईआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में यार्जित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन ओल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।
  - Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed.
- viii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/01/2023 to till date from the mining department.
- ix. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnami and photographs of every monitoring station.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राथिकरण द्वारा बैठक में विचार – संघर्षोक्त प्रकरण पर प्राथिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संघर्ष 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राथिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वेसम्मति से समिति की अनुशासन की स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टम्ही ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लौक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से नगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्ही ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लौक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेशारी खम्हारडीह लाईम कटीन क्षारी (प्रो.- श्री पवन कुमार अध्यात्म), प्राम-खम्हारडीह, तहसील-पर्यावरण, ज़िला-मुगेली (शाखियालय का नस्ती क्रमांक 2321)

ऑनलाइन आवेदन – प्रमोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420135 / 2023, दिनांक 27 / 02 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित घूम पल्लव (गौण खणिज) खदान है। प्राम-खम्हारडीह, तहसील-पर्यावरण, ज़िला-मुगेली स्थित खसरा क्रमांक 192 / 5, 195 / 4, 197 / 1, 198 / 1, 199 / 2, 199 / 1, 199 / 2, 200 / 1, 200 / 2, 201 / 1, 201 / 2 एवं 202, कुल क्षेत्रफल-1.356 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-16,400 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11 / 04 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18 / 04 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपरिख्यत नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 18 / 04 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहारी कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में सभी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वेसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में घाली नहीं राखित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी पिछ्ये अवधार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी घोषणा—

१. पूर्व में कुना पाल्यर खदान कामांक 192 / 5, 195 / 4, 197 / 1, 198 / 1, 198 / 2, 199 / 1, 199 / 2, 200 / 1, 200 / 2, 201 / 1, 201 / 2 एवं 202 कुल क्षेत्रफल—3.35 एकड़ेहर लम्बाई—16,400 टन प्रतिक्वां ऐसु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियोजन प्राप्तिकरण जिला—मुगेली द्वारा दिनांक 01 / 09 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अवधि दिनांक 31 / 08 / 2022 तक हो थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31 / 08 / 2023 तक कैप होगी।

२. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है। समिति यह मात्र है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एवलिकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
३. नियोजित इत्तमनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

४. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुगेली के द्वापन कामांक 23 / खति—२ ल.प. / 2023 मुगेली, दिनांक 18 / 04 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विनाश वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
01 / 09 / 2017 से 31 / 03 / 2018	4,500
01 / 04 / 2018 से 31 / 03 / 2019	11,200
01 / 04 / 2019 से 31 / 03 / 2020	15,960
01 / 04 / 2020 से 31 / 03 / 2021	14,000
01 / 04 / 2021 से 31 / 03 / 2022	16,360
01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2023	16,365

समिति का गता है कि दिनांक 01/04/2023 से लिए गए उत्खनन की वास्तविक साज़ की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में याम पंचायत अधोली का दिनांक 10/12/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – वरारी प्लान, इन्वायरनेमेंट मैनेजमेंट प्लान एलीग एफड वरारी बलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-बलीदाचाजार-भाटापाट के झापन क्रमांक 1897/खलि/लीन-1/2016 बलीदाचाजार, दिनांक 18/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा), जिला-मुगेली के झापन क्रमांक 997/खलि-02/2022 मुगेली, दिनांक 26/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 7 खदाने, होड़काल 6.829 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होड़/संरचनाए – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा), जिला-मुगेली के झापन क्रमांक 996/खलि-02/2022 मुगेली, दिनांक 26/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होड़ जैसे मंदिर, मरिजद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट वांछ एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रिया होड़ निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज भी वरन गुमार अस्पताल के नाम पर है। लीज की 10 वर्गी अर्धांति दिनांक 01/05/2007 से 30/04/2017 तक की अवधि हेतु पैम थी। तत्वश्वात लीज की 20 वर्गी अर्धांति दिनांक 01/05/2017 से 30/04/2037 की अवधि हेतु विस्तारित नहीं गई।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाहिकारी, बिलासपुर बनमण्डल, बिलासपुर के झापन क्रमांक/मापि./3421, दिनांक 17/05/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दृशी – भिकटाम आशादी याम-खम्हारडीह 620 मीटर, स्कूल याम-खम्हारडीह 870 मीटर एवं अस्पताल यिल्हा 9.5 कि.मी. की दृशी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राजमार्ग 21.50 कि.मी. दूर है। महानदी 760 मीटर, तालाय 480 मीटर, नहर 320 मीटर एवं नाला 155 मीटर दूर हैं।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील होड़ – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण योड़ द्वारा घोषित फ्रिटिकली पील्युटेल एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होड़ या घोषित जैवविविधता होड़ स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. छनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,72,900 टन, माइग्रेशन रिजर्व 1,81,880 टन एवं रिकार्डरेटल रिजर्व 1,63,692 टन हैं। यहांमान

वे जियोटीमिकल रिजर्व 2,85,816 टन, माईनेबल रिजर्व 94,797 टन एवं निकलरेबल रिजर्व 85,317 टन रोप है। लीज की 7.5 मीटर धीर्घी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिशतित धीर्घ) का क्षेत्रफल 4,351.18 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेनीनाइफ़ लिंग से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। धर्तमान में लीज धीर्घ के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। दैर्घ्य की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं लीडाई 1.5 मीटर है। खदान की नियमित आयु 10 वर्ष है। लीज धीर्घ में क्षार स्थापित नहीं है एवं इसकी रक्षापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से हिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। चर्कावार प्रस्तावित उत्खनन का दिवरण नियमानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,365.9	षष्ठम	16,366.5
द्वितीय	16,365.9	सप्तम	16,366.3
तृतीय	16,365.9	अष्टम	16,365.9
चतुर्थ	16,365.8	नवम	16,365.0
पंचम	16,365.9	दशम	16,399.5

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोर्डेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल एन्ड पॉल वॉटर अथोरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
  13. वृक्षारोपण कार्य - प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि नियमानुसार 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 884 नग वृक्षारोपण किया जाना है। परन्तु 7.5 मीटर की पूर्ण सीमा पट्टी 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि लीज धीर्घ से लंबी दूरी स्थित की भूमि पर 3 पक्षियाँ में 602 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। यहां ही हीम 262 नग वृक्षारोपण को सीईआर में शामिल करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
  14. खदान धीर्घ 7.5 मीटर की धीर्घी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज धीर्घ के बारे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी 4,351.18 वर्गमीटर धीर्घ 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित कारी पनान में किया गया है। प्रतिशतित 7.5 मीटर धीर्घी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्थीरता की जारी का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध यांत्र उपरोक्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
  15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग फ्रॉजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय जारी की गई है। इसे क्रमांक Viii (i) के अनुसार -
- "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक खते को अनुसार माईन लीज लैन के अंदर 7.5 मीटर छोड़ सेपटी जौन में कृषारीय प्रक्रिया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि उल्लंघन में आने वाली खदानों के लिए डेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से प्रारंभ किया गया। उक्त के समय में दिनांक 27/02/2023 को सूचना दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी. प्रिसिपल वैब. नहु दिल्ली हारा सर्वोदय पार्किंग विल्ड मारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहु दिल्ली एवं अन्य (डीरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य काम से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हारा विभार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जारा), जिला—मुगेली के ज्ञापन दिनांक 997 / खलि—02/2022 मुगेली, दिनांक 26/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदाने, कोरफल 6.829 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (दाम—खन्हारडीह) का रकबा 1.366 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (दाम—खन्हारडीह) को निलकर कुल रकबा 8.185 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत / संचालित खदानों का कुल कोरफल 6 हेक्टेयर से अधिक का उल्लंघन निर्मित होने के कारण यह खदान 'की' श्रेणी की बानी गयी।
2. माईन लीज लैन के चारों ओर 7.5 मीटर छोड़ सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस लैन के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के समय में तथा लीज लैन के अंदर माईनिंग किलाकलापी के कारण उल्लंघन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा कृषारीय आदि के लिये समुचित उपायों को किलायित करने का बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्राघाती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबिधित 7.5 मीटर छोड़ सीमा पट्टी में अवैध उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विल्ड नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति हारा विभार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'की' केंटेनरी का होने के कारण भावत सरकार, पर्यावरण, बन और उल्लंघन मंत्रालय हारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैफ़डहै टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज लिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट एक्टीवरेंस अप्टिक ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित अंगी 1(ए) का स्टैफ़डहै टीओआर

(लोक सुनाधार सहित) नीन लोल गार्डनिंग फ्रॉटेक्टरा द्वारा निम्न अधिकारीय एवं अधिकारीय के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई।

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2023 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies. The project proponent shall conserve the nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report. Project proponent shall undertake plantation of 262 plants outside of the lease area.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details along with photographs in the EIA report.

- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संपन्न 163वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विवरणीय उपचार सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्ही ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि—

- (i) (i) माईन लीज क्षेत्र के घारी और 7.5 मीटर बीड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन की कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपचारी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकरायी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षान्तरण आदि के लिये समुचित उपायों वाले संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर बीड़ी सीमा पट्टी में ज्वाय उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माईन लीज क्षेत्र के घारी और 7.5 मीटर बीड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण राज्यालय मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्ही ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया जाए। साथ ही संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संघालय मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. नेतृत्व दण्डिमा लाईस रहीन माईन (प्रो.- श्री अभिषेक गोदाल), राम-बधिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (संघिवालय का नस्ती छम्हांक 1447) ऑनलाईन आवेदन – पूर्ण में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57842 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420679 / 2023,

दिनांक 04/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण  
ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित दूना पत्थर (गोला समिति) खादान है। खादान  
पान-बहिना, ताहसील-ताजपुर, ज़िला-बलरामपुर-तामानुजगढ़ विधान सभाका  
849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/48,  
849/41 एवं 849/32, कुल क्षेत्रफल-2.196 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खादान की  
आवेदित उत्खनन क्षमता-64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकाशित थी।  
कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, रान और जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित कैटेगरी टन्स ऑफ रिपोर्टर (टीओआर) पौर  
ईआईए/ईएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकवरीरिंग इन्डस्ट्रीज  
कलीयरेस अपलब ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थी 1(ए) का कैटेगरी  
टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तामानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक  
21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण** –

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र  
दिनांक 27/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक  
में प्रस्तुतीकरण दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय  
प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तहसमय सर्वेसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को  
पूर्व में जारी नहीं बालित जानकारी एवं समस्त शुरांगत जानकारी / वरतावेज शहित  
प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

तामानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक  
22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नुकेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के  
रूप में मेसर्स अल्ट्रा-टेक इन्हायरोमेन्ट्स कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, जाने (परिचय)  
की ओर से छोटी देव नारायण उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का  
अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खादान को पूर्व में  
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत बज अनापरित प्रमाण पत्र— उत्खनन को संबंध में शाम पंचायत  
बहिना द्वा दिनांक 09/08/2020 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया  
है।
- उत्खनन घोषना— कवारी प्लान, इन्हायरोमेन्ट मैनेजमेंट प्लान एवं कवारी  
वर्तीजार प्राप्त प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (छप्र.) जिला-सरगुजा

के पु. ज्ञापन क्र. 1574/खनिज/खलि.3/उत्तराखण्ड यौ./2020 अधिकामुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/सत्त्वानि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर उत्तरांत 7 खदानों का प्रकल 6,672 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक झील/संरक्षणारे – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 932/खनिज/सत्त्वानि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उगत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक झील जैसे नदियां, मरुषट्ट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एपीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित झील निर्गित नहीं है।
6. एलओआई का घिवरण – एलओआई भी अधिकैक गौयल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 671/गौय खनिज/उत्तराखण्ड पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक अधिक तक थी। सत्प्रभावात् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 5668/खनि. 02/क.प.–अनु.निष्पा./नक.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 02/11/2021 द्वारा एलओआई में वैधता वृद्धि घोषित पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 29/09/2022) हेतु की गई।

लदौपरांत एलओआई की वैधता वृद्धि घोषित व्यायामय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 02/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/08/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी अनुसार “उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि छल्लीसगढ़ गौय खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परमु के राहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्तराखण्ड पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समझावनी प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज को प्रत्यावर्तित किया जाता है।” होना चाहिया गया है।

7. भू–स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 849/12 भी मनराज, भी सनराज, भी चरण, श्रीमति फूलमेत, भी अमरसाय, खसरा ने 849/48, 54, भी मुकेश कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 849/43 भी रामसाय, खसरा क्रमांक 849/33, 41 श्रीमति फूलवाली, खसरा क्रमांक 849/39 भी सीमारु, भी राजकुमार, श्रीमति सुशारी, खसरा क्रमांक 849/34 भी राजकुमार, श्रीमति पूलवाली, खसरा क्रमांक 849/36 भी महेन्द्र पैकड़ा, खसरा क्रमांक 849/32 गुर्जी संगली एवं सुश्री गंगली के नाम पर है। उत्तराखण्ड हेतु सहगति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बन मण्डलाधिकारी, बलरामपुर बनमण्डल, जिला–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2018/4473 बलरामपुर, दिनांक 31/07/2018 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार “आवेदित भूमि श्रीमाकान बन हेत्र नहीं छोटे छाड़ के जंगल में अंतर्गत नहीं आता है तथा

आंकेदित एवं उन भूमि से उन सालान प्रतिविषयक 1980 लायू नहीं होगा का उल्लेख है। प्रस्तुतीवरण के दीरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत टॉपोग्राफ़िक छान्तक 64 एवं 78.3.4 के आधार पर आंकेदित भूमि से उल्तर-पूर्व की ओर लगभग 300 मीटर पर बेन्दोगढ़ रिसर्च कारेस्ट एवं दक्षिण-पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर पर बांसदीदा रिसर्च कारेस्ट दक्षिण होती है।

10. नहरपूर्वी संरचनाओं की दूरी – निकटतम झाबादी छान-बड़ीगा 400 मीटर, स्कूल याम-बड़ीगा 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल बाजपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.1 कि.मी. मीटर दूर है। बांड 9.7 कि.मी., नाला 3.6 कि.मी., गागर नदी 1.6 कि.मी. एवं तालाब 950 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परियोजने में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिपोर्ट 12,90,150 टन, माइनेबल रिपोर्ट 6,61,887 टन एवं रिक्वेशन रिपोर्ट 8,28,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्कानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,670 दम्भीटर है। औपन कारट सेमी मैक्रोलाइज्ड लिपि से उल्कानन किया जाएगा। उल्कानन की प्रत्यावृत्त अधिकतम गहराई 25 मीटर है। उपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 25,935 घनमीटर है, जिसमें से 1,837 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (प्रतिबंधित क्षेत्र) से फैलाकर वृक्षाशेषण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 24,298 घनमीटर 'ऊपरी मिट्टी' को सहमति प्राप्त भूमि (खासदा छान्तक 734/1, 750, 754/1, 754/2 एवं 754/3, भू-खानी-मुकेश कुमार अग्रवाल, रक्षा-1868 हेक्टेयर) से भएक्षारित कर जरूरित रखा जाएगा। येह गति ऊपराई 3 मीटर एवं धीराई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से फ़िलिंग एवं काटोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायू प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिलकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उल्कानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उल्कानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उल्कानन (टन)
प्रथम	61,596.63	षष्ठम	62,985.00
द्वितीय	62,094.38	सप्तम	64,837.50
तृतीय	62,700.00	अष्टम	62,201.25
चतुर्थ	62,486.25	नवम	64,231.00
पंचम	62,058.75	दशम	63,602.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति याम पंचायत द्वारा टैकर एवं सोरकेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सोन्दूल यात्रण चौटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,078 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मीटर परिवर्तनीय प्रबंधन योजना के तहत जिम्मेदारी प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (लघु)	द्वितीय (लघु)	तृतीय (लघु)	चतुर्थ (लघु)	पंचम (लघु)
खदान की वृक्षारोपण हेतु राशि वाटपट्टी में (1,078 नग)	कृष्णगंगा हेतु राशि खाद हेतु राशि सिंचाई हेतु राशि वृक्षारोपण हेतु रस्ता - रसाया हेतु राशि	59,250 1,07,425 53,900 90,000 1,09,500	5,350 — 53,900 90,000 1,09,500	5,350 — 53,900 90,000 1,09,500	5,350 — 53,900 90,000 1,09,500
कुल राशि = 14,55,075		4,20,075	2,58,750	2,58,750	2,58,750

15. खदान की 7.5 मीटर की ओरी सीमा पट्टी में उत्तरानन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,670 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 803 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर तक गहराई तक पूर्ति से उत्तरानित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित कर्तवीय प्राप्ति में किया गया है।

#### 16. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण—

- जल एवं धारु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मौनिटरिंग कार्य 1 अप्रूवर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के माय किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय धारु गुणवत्ता भाष्य, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता भाष्य, 6 स्थानों पर घनि रसायन भाष्य, 6 स्थलों पर नालही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मौनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ, एनओ, का सान्दर्भ लेवल—

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>2.5</sub>	19	55	60
PM <sub>10</sub>	49	99	100
SO <sub>2</sub>	6	30	80
NO <sub>2</sub>	10	38	80

- परियोजना स्थल को आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में यसाये गये ईयल अनुसार इलोराइड्स, नाइट्रोट्रा, रास्कर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ लेवल भारतीय मानक से कम है।
- परिवेशीय घनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L <sub>dn</sub>	49.9	51.9	75
Night L <sub>dn</sub>	41.9	45.9	70

जो उच्च क्षेत्र के नियांसित मानक सतार से कम है।

#### v. जी.एल.सी. की गणना—

S No.	Parameters	Baseline at project site ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Predicted GLC ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Total GLC ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1	PM <sub>10</sub>	99	0.135	99.135
2	PM <sub>2.5</sub>	55	0.087	55.087
3	SO <sub>2</sub>	30	2.95	32.95
4	NO <sub>x</sub>	38	0.66	38.66

- vi. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / बद्दीएवल इक्वल हैकी वाहनों को समाप्ति करते हुये ट्रैफिक अध्ययन लियोंट प्रस्तुत वी गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 59.07 पी.सी.यू. प्रतिघटा एवं वी/सी अनुपात (VIC ratio) 0.039 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 23 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 82.07 पी.सी.यू. प्रतिघटा एवं वी/सी अनुपात (VIC ratio) 0.065 होगी। विस्तार के उपरांत भी रो-मर्टिरियल / प्रौद्योगिक्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की स्थिति कैरिय क्षमता नियांसित मानक (Excellent) के भीतर है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 02/08/2022, पूर्वाह्न 11:00 बजे, स्थान — शाम पंथायत भवन, शाम-बधिया, तहसील-खजुराहो, ज़िला-बलरामपुर-सम्माननुजगंज में शपथ हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदरमुख सचिव, एकत्रीशास्त्र पर्यावरण संस्थान बंडल, नवा खजुराहो अटल नगर, ज़िला-खजुराहो के पात्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—
- उपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को जहाँ जारी रहता है वहाँ नहीं छालती है, जिससे पूरे गांव यात्रों ने परेशानी होती है।
  - प्रायोनिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बुद्धों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर वी उपरिधित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कार्यन निम्नानुसार है—
    - खानन के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का निरसात्मक अनुमोदित उत्प्रयन योजना के अनुसार ही किया जाएगा। मिट्टी या ओवर बर्डन को खानन क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक रूप से इदं किंवदं या शासकीय स्थल में उपयोग नहीं किया जाएगा। खानन का संचालन पूर्णतः कानूनी तौर पर एवं अनुमोदित उत्प्रयन योजना के अनुसार किया जाएगा।
    - स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार खानन में रोजगार दिया जाएगा।
19. कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरर्सेंटल मैनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावकों द्वारा बताया गया कि आवेदित खानन को शामिल करते हुये कलस्टर में जुलूस खाननमें आती है। जिसमें से 7 खानाओं को गुर्ब में ही पर्यावरण स्थीकृति प्राप्त है। अतः कलस्टर में शामिल आवेदित खानन द्वारा इन्हायरर्सेंटल मैनेजमेंट प्लान

प्रस्तुत किया गया है। इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के लाभ सिवा कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियन्त्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल शिल्पकार पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 580 मीटर	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
वालस्टर मार्ग में (386 नग) पृष्ठारोपण हेतु	पृष्ठारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) जिल्हा राशि खाद हेतु राशि सिंचाई एवं सख- रखाव हेतु राशि	1,14,000	71,000	71,000	71,000
इन्हायरोमेंट मैनेजरिंग	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के संधारण हेतु एवं योगायप गांधी	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 12,08,000	2,76,000	2,33,000	2,33,000	2,33,000	2,33,000

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मान प्रस्ताव से वर्षा उपर्युक्त निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.12	2%	1.43	Following activities at nearby Village - Baghima	
			Plantation at Village Pond	1.509
			Total	1.509

21. सीईआर के अंतर्गत लालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) पृष्ठारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग लीढ़ी के लिए राशि 3,500 रुपये, कॉलिंग के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,15,200 रुपये हेतु प्रस्तावाद व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

- ग्राम पंचायत अधिकारी के सहमति उपलब्ध यथायोग्य रखान (खासा क्रमांक 25 एवं 26, होमफल ०५३१ हेवटेचर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
22. कर्मचालवाले शहरीय अधिकारी, लोक इकाई याचिकारी किमान, उपर्युक्त बलरामपुर के द्वारा दिनांक 27/04/2022 अनुसार “ग्राम अधिकारी के खासा क्रमांक 849/12, 54, 43, 33, 39, 34, 35, 48, 41 एवं 32 होम में सुदाई के दीरान 45 नीटर से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है” का उल्लेख है।
  23. लीज होम में १ गढ़वा विद्यमान है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दीरान बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 02/10/2017 द्वारा निर्णय लिया गया कि खासा क्रमांक 849/30 में पूर्व से संभालित रखान का गढ़वा है, जिससे लगी गांधीजी की भूमि खासा क्रमांक 849/13, 849/33 एवं 849/43 को भिट्टी एवं पत्थर निकालकर गहरीकरण किया गया ताकि गढ़वे में पानी भरनार रूपी बनाई में पानी का उपयोग किया जा सके।
  - परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित भूमि में ग्रामवासियों के द्वारा किये जा रहे अवैध उत्पानन की जानकारी देते हुए दिनांक 06/03/2020 तथा दिनांक 05/04/2021 की खनिज अधिकारी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को यत्न लेख बत्र अवैध उत्पानन पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशन किया गया। सच्च ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/10/2017 की आवेदित स्थल में अवैध उत्पानन किये जाने के कारण खनिज अधिकारी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा जांच के असार पर 1.22.364 लघुते का अर्थदण्ड लगाया गया है।
  24. उपरी भिट्टी को लीज होम के बाहर भड़ाखिल कर संरक्षित रखें जाने हेतु भिट्टी का तुलनपद्धति न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस भिट्टी का उपयोग पुनर्जनाव में किये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  25. कंट्रोल इलारिटेन का कार्य विस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  26. इलारिटेन का कार्य ढी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  27. पश्चिमिय छरट उत्पादन के नियमित जल घिलकाव किये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  28. माईनिंग लीज होम के अंदर साधन गृहानीय लोगों को बोजगार दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  29. छत्तीसगढ़ आदान पुनर्वास नीति के तात्त्व स्थानीय लोगों को बोजगार दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निनर्लन करारोजन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बालपट्टी पिल्लारी द्वारा सीधाकान तत कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रणाले का दृष्टिकोण से जल संचय, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संखाण किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके पिछले इस परियोजना / खटान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके पिछले भासा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिन का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. लोकसुनवाई के दीर्घान उत्तराधित गये जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्रादे उत्तराधित गये हैं, उनके संबंध में प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India wrt petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देशों का पालन किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को wrt petition (S) Civil No 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये पिला निर्देशों का पालन किया जावेगा इस वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण की गाईडलाइंस के अनुसार बलस्टर में समिलित सभी आवेदकों के द्वारा एक पर्यावरण समिति का गठन किया जाएगा, जिस पर एक पर्यावरणक्षिति की नियुक्ति किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
38. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कीमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान, कीमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सङ्कोच की रक्षा-रखाव एवं दृक्षारोपण कार्य के मौकिटिंग एवं वर्कशेफ्ट हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, शाम पर्यावरण के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णनद पर्यावरण संखाण बण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. कीमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान, कीमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सङ्कोच की रक्षा-रखाव एवं दृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
39. माननीय एन.जी.टी., प्रिसेप्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सल्यैंट पाण्डेय पिछले भासा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं झज्या (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 106 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्रित रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभागी उपरात सर्वेसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा), जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज के प्राप्त इमार 933 / खनिज / सुल्तानी / 2020 बलरामपुर, दिनांक 27 / 10 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर आविस्थित 7 खदाने, क्षेत्रफल 6.672 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम—बधिमा) का क्षेत्रफल 2.196 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—बधिमा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.868 हेक्टेयर है। खदान की लीमा 300 मीटर की परिधि में स्थीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान ली—1 शेषी ली मार्नी गयी।
2. भासत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राकड़ों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलस्टर में आने वाली खदानों की उत्क्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की लीक्याम हेतु बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कौनन इन्हायरेंसेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदाकली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. गाईन लीज क्षेत्र के लानी और 7.5 मीटर छोड़े सेपटी जीन के कुछ भाग में किये गये उत्क्खनन के कारण हुस क्षेत्र की उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्क्खन प्राप्तवरण गिरेगण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुदायित उपायों को क्रियान्वित कराने वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदाकली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर छोड़ी लीन पट्टी में अवैध उत्क्खनन क्रिया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के पिरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय भवन, नवा रायपुर अटल नगर को क्रियानुसार व्यवर्धाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विभागी उपरात सर्वेसम्मति से आवेदक — मंसरो बधिमा लाईम रटोन गाईन (प्रो.— श्री अधिकेक गोयल) को ग्राम—बधिमा, तहसील—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज के खसरा इमार 849 / 12, 849 / 54, 849 / 43, 849 / 33, 849 / 39, 849 / 34, 849 / 35, 849 / 49, 849 / 41 एवं 849 / 32 में स्थित चूना पाथर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 2.196 हेक्टेयर, क्षमता—64.837 टन (25.935 पनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में शिवार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को सप्तम 153वीं बैठक में शिवार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विवरण उपरांत राखिलाली से निम्ननुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये गैरार्स बिंगला लाइम स्टोन माइन (प्रौ.- श्री अभिषेक गोपल) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित गती को अतार्गत निहित किये गये शही का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विवित कार्रवाली की जाएगी।
2. स्थानीय ग्रामवासियों से बच्ची उपरांत ऊपरी गिर्दी एवं ओहर चर्फ़न को उपगुक्त रख—रखाव को सुनिश्चित किये जाने साथ समझ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत निये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. उत्तमतम हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्थानियों के भूमि से संबंधित समस्त हिस्सों की रक्षा, भारत राष्ट्र के समस्त नियमों के छंतरीत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस कावत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सरक्षती स्टोन कंपनी (प्रौ.- श्री छब्ती लाल पटेल), शाम—घनसूली, तहसील—आरंग, ज़िला—रायपुर (संविवालय का नवती क्रमांक 2260)

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी / एमआईएन/413673/ 2023, दिनांक 07/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा ज्ञानकर्ता प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाईफ़िट ज्ञानकर्ता दिनांक 06/03/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं है।

प्रस्ताव का विवरण — यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संबंधित घूना पथर (गोण खनिज) खदान है। खदान शाम—घनसूली, तहसील—आरंग, ज़िला—रायपुर नियंत्रित खासा क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल—1.76 हेक्टेयर (4.35 एकड़) में है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता—69,692.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में सभी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

रामिति द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जाही गहु वाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडॉएसी, छत्तीसगढ़ के आधन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) रामिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पांचाली लाल घटेल, प्रोफराइटर उपस्थिति हुए। रामिति द्वारा नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति कानूनी विवरण—

i. पूर्व में गुना पत्तर स्थान संसारा इमार 872, बुल लेजकल-435 एकड़, कामता-69,690 एकड़ प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जिला सारीय पर्यावरण समाधान निधिविभाग द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्थीकृति जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2023 तक वैध थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, दून और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"SA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्थीकृति की कैषता जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2024 तक कैष होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। रामिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, दून एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. नियांसित शर्तानुसार दृक्कारोपण नहीं किया गया है। रामिति का मत है कि पूर्व ने जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के अनुसार नियांसित शर्तानुसार दृक्कारोपण इसी मानसन में करते हुए पौधों में संख्याकान (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफी सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के आधन इमार 259/खालि/2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पञ्च अनुसार दिग्गत वर्षी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
------	--------------

2017–18	15,870
2018–19	31,392
2019–20	8,174
2020–21	15,826
2021–22	8,000
01 / 04 / 2022 से 30 / 09 / 2022	6,287

संभिति का मत है कि दिनांक 01 / 10 / 2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक गत्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घाम पंचायत का अनापलित प्रमाण पत्र – उत्खनन को संबंध में घाम पंचायत घनसुली का दिनांक 17 / 03 / 2008 का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्यारी प्लान विध क्यारी कलीजर प्लान एप्ड इन्वायरोमेंट गेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिप्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-६/उ.प./2013/2663 रायपुर, दिनांक 23 / 12 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 14 / 02 / 2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 88 लादानें, होमफल 180.75 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 14 / 02 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर बरिजाद, मरम्पट, असपाताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज मैसारी सारवदाती स्टोन क्यारी, द्रोपटाइटर श्री जगदील साल पटेल के नाम पर है। लीज फीड 10 वर्षी अर्थात् दिनांक 17 / 01 / 2013 से 16 / 01 / 2023 तक चैथ थी। अपश्वात् लीज फीड 10 वर्षी अर्थात् दिनांक 17 / 01 / 2023 से 16 / 01 / 2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित गी गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – कर्व 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र से निकटतम बन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए पनमण्डलाधिकारी से जारी अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घाम—घनसुली 1 कि.मी. एवं स्कूल घाम—घनसुली 1 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग १०० मीटर एवं राजमार्ग २ कि.मी. दूर है। लारून नदी १५ कि.मी. दूर है।

10. पारिशिष्टलिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. तक परिषिष्ट में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोड द्वारा प्रोत्साहित लिटिकली पील्युट्रैड एरिया, पारिशिष्टलिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र विधत् नहीं होना प्रतिपेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,76,000 टन, माइनेबल रिजर्व 6,96,915 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,27,223 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) पर क्षेत्रकल 4,267.5 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सीमी मेंकोनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29 मीटर है। ये की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं छोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में काशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से डिलिंग एवं कंट्रोल चार्टिंग किया जाता है। खदान में कायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रस्ताव	69,691.5	प्रस्ताव	69,691.5
द्वितीय	69,691.5	साप्तम	69,691.5
तृतीय	69,691.5	अष्टम	69,691.5
चतुर्थ	69,691.5	नवम	69,691.5
पंचम	69,691.5	दशम	69,691.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 मिनीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्वोत्तर एवं सफाम प्राधिकारी से अनुमोदित प्राप्त कर दस्तावेज़ / जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी ने उत्खनन – प्रस्तुतिकारण के द्वारा उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनित किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिवर्षित लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन का उल्लेख करारी प्लान में करते हुए संकेतित अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्तीकृति की जारी का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध जाव उपरोक्त नियमानुसार ऐमानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि मारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल मर्फिंग ध्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय हाते जारी की गई है। शार्ट रूमांक VIII (v) के अनुराग—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक गति के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर बीड़े सेपटी जौन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. मानवीय एवं जीवी, प्रिसियल दैर्घ्य नई दिल्ली द्वारा सत्येंद पाप्हेय दिल्ली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल प्रॉफिलेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्ना) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (स्थानीज शास्त्रा), जिला—रायपुर के इगमन छानांक 260 / रु. लि / 2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदाने, क्षेत्रफल 180.75 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम—धनसुली) का कुल रकमा 1.76 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम—धनसुली) को विलाकर कुल रकमा 182.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/ संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलरटर निर्णित होने के कारण यह खदान 'बी' सीमा की भाँती गयी।
- माईन लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर बीड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तराधन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) की संभव में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समृद्धित उपायों को क्रियान्वित कराने वाले संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकने, हड्डावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) की लेख किया जाए।
- प्रतिवर्षित 7.5 मीटर बीड़ी सीमा बट्टी में अवैध उत्तराधन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा खनिकने को एवं पर्यावरण को अति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कोटेश्वरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पर्ड टम्स ऑफ रिकॉर्ड्स (टीओआर) और इंडिएर / इन्सी, रिपोर्ट कार ग्रोग्जरस/एकटीविटीज रिकार्ड्यरिंग इन्वायरनेट कलीयरेस अम्बर इंडिएर नोटिफिकेशन 2006 में वर्णित थींगी 1(ए) का स्टैम्पर्ड टीओआर (लोक सुनवाई शहिर) जैसे कोल मार्किंग ग्रोग्जरस ऐन निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने वाली अनुशासा की गई।-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit the plantation details of previous environmental clearance with geotag photographs and videography & incorporate in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- vi. Project proponent shall submit production detail from 01/10/2022 to till date from the mining department.
- vii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- ix. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- x. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. Project proponent shall submit detail of pond and nearby water bodies distance from mine lease area & an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xiv. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area, incorporate the mined out reserve in the quarry plan accordingly and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xix. Project proponent shall undertake plantation of 550 plants during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details along with photographs in the EIA report.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को सपन 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशासन की स्थीतावर करते हुये उपरोक्तानुसार टम्सी ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लौक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

- (i) (i) माइन लीज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर ग्रीड सेफ्टी जोन के कुछ नगर में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Remedial Measures) की संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग कियाकरतायी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी रथा युक्तारोपण आदि के लिये समुद्धित उपायी बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सुनिकर्म इंद्रावली भवन, नवा राजपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख दिया जाए।

(i) प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीधा पट्टी में अंकुष उत्कृष्णन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विश्वास नियमानुसार आवश्यक कलंकारी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा सुनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(ii) माईन लौज होकर की जारी और 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्कृष्णन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छल्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्ति में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्पी ऑफ ऐक्येन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई संहित) जारी किया जाए। जाथ ही संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा सुनिकर्म इकाई भाग, नवा रायपुर अटल नगर एवं छल्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरका द्वारा प्रेषित पत्र को संबंध में विचार किया जाना।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरका के द्वारा दिनांक 26/04/2023 द्वारा "4-laning of Urga-Pathalgao section of NH-130A from km.70+200 to km.157-746 (from Bhisma village to Taruma village) under Bharatmala Pariyojana (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) In the State of Chhattisgarh on HAM Mode- Request to issue environmental clearance of stone mines to be used for construction of project highway- Reg." को संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दरलावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य नियमानुसार हैं—

"Consequent upon signing of Concession Agreement (CA) on 20.02.2023, the Concessionaire M/s Urga-Pathalgao Highways Ltd has mobilized for Preconstruction Activities. Further, as per Clause-4.1.3 of the Concession Agreement, the Conditions Precedent required to be satisfied by the Concessionaire within a period of 150 days from the date of this Agreement. One of the condition precedents is to procure all the Applicable Permits specified in Part-1 of Schedule-E unconditionally or if subject to conditions, then all such conditions required to be fulfilled by the date specified therein shall have been satisfied in full and such Applicable Permits are in full force and effect.

In this regard, the Concessionaire vide letter dated 26.04.2023 has informed that, for execution of captioned project, it needs quantum of minor

minerals (Stone/Boulders) for which, the Concessionaire has already applied for environmental clearances as under:

Sr. No.	Application No.	Quantity (In MT)	Area (In Ha)	Location (Village)	District
1.	SIAVCGMINI425021/2023 dtd. 06.04.2023	1,648,26.00	1.00	Turuma (Pathalgaoon)	Jashpur
2.	SIAVCGMINI426025/2023 dtd. 06.04.2023	1,00,099.00	0.994	Turuma (Pathalgaoon)	Jashpur
3.	SIAVCGMINI426029/2023 dtd. 06.04.2023	79,387.00	1.00	Turuma (Pathalgaoon)	Jashpur
4.	SIAVCGMINI426822/2023 dtd. 21.04.2023	2,50,036.00	1.52	Semipali (Dharamjaygarh)	Raigarh
	<b>Total</b>	<b>5,94,348.00</b>	<b>4.514</b>		

In view of above, it is requested to kindly accord necessary Environmental Clearance for the above project on **PRIORITY BASIS** enabling the Unga-Pathalgaoon Project activity to be carried out at required pace and to be completed in stipulated time."

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपराज सर्वेसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पर्यावरण का अवलोकन किये जाने हेतु प्राधिकरण वर्षे एस.ई.ए.सी., उत्तरीसंगड़ के सम्बन्ध में नियमानुसार रखे जाने की अनुशंसा की गई।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26 / 06 / 2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विभाग उपराज सर्वेसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के प्रकरणों का आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए / एस.ई.ए.सी. का नठन पर्यावरणीय हितों की तथा तथा संभाल के लिए किया गया है। अतः पर्यावरणीय Safeguards and protection को ध्यान में रखकर ही परियोजना (आंतरिक / खाली / नियंत्रित) का ध्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, तदानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया तथा परम्परा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सङ्घक परिवहन और राजमार्ग संचालन, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरका को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मैसर्स जायसदाल निको इंफ्रास्ट्रॉज लिमिटेड, ग्राम-छोटेहाँगर, तहसील व ज़िला-नारायणपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रधान नम्बर – एसआईए / सीजी / एसआईएन / 281088 / 2022, दिनांक 01 / 07 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति में संलग्न हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संबंधित आवरण और (मुख्य खनिज) खदान एवं बेनिफिसियेशन प्लान है। खदान ग्राम-छोटेहाँगर, तहसील व ज़िला-नारायणपुर रिवाल

पाई और संसाधन क्रमांक 255, 258, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल—192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल—७१ हेक्टेयर) की पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। खदान की आवेदित उत्तराधिकारी—2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बैगिप्रिसिटेशन प्लाट-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.के. शौहुरा एवं श्री एस.के. स्थान डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक की आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशांत कुमार शौहुरा, असिस्टेंट डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सत्ताहावार की कृपा में श्री हेम कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

L. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भारत सरकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंचालय, पर्यावरण भवन, नई डिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु श्री आर. जारी की गई थी।

II. पूर्व में इन विभाग छत्तीसगढ़ जारीन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज-II प्लाइट कलीयरेस (क्षेत्रफल—35.74 हेक्टेयर) के अलावा पर भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंचालय, पर्यावरण भवन, नई डिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.M(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर, आवरण और (भूखण्ड खनिज) उत्तराधिकारी—2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष किया बैगिप्रिसिटेशन प्लाट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

III. क्षायालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 316 / खनिज / ली.अ. / 2020-21 नारायणपुर, दिनांक 05/11/2020 द्वारा

जारी प्रकाश वर्त अनुसार विगत वर्षी 2017 से सितम्बर, 2021 तक में किये गए उल्लेखन की मात्रा निम्न है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, द्वारा एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के द्वापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का आधिक पालन एवं अपूर्ण पालन विचार जाना पाया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावका द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, द्वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को आधिक पालन एवं अपूर्ण पालन को पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2022 को प्रेक्षित किया गया है। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-
- गारलेण्ड हेन येक हेम्स एवं कैथ हेन्स का निर्माण किया जाना कारबा गया है। अतः गारलेण्ड हेन येक हेम्स एवं कैथ हेन्स के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - कृषीरोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - भू-जल रस्तों का संरक्षण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - पिजीमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।
  - वन्य प्राणी संरक्षण योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का नहीं है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत राहगम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संचालकव्यप्रा.) राह गुरुत्व वन्यप्राणी अभियानक) से अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन की रक्कान का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचायन मंडल से दिनांक 29/06/2022 द्वारा परिवारकर्मव और अन्य अपरिषेष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संबंध) नियम, 2016 के तहत जारी प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत भी गई है, जिसकी वैधता दिनांक 27/06/2027 तक है।
  - जल हेतु बाटर ऑडिटिंग कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
  - रेन बाटर हार्डिंग के संबंध में रिवार्ज पीण्ड का निर्माण किया गया है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, द्वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय (द्वन संरक्षण विभाग) द्वारा पञ्च दिनांक 01/02/2022 के भाष्यम से ऐसर्वी जायसदाल नियो इण्डरट्रॉज लिमिटेड, शाम-छोटेढीनर, तहसील ब जिला-नारायणपुर को रटेज-II फारेस्ट कलीयरेस (Forest clearance stage-II for 55.26 Ha), अतिरिक्त ही उड़ाल-55.26 हेक्टेयर हेतु जारी की गई है।
4. जल एवं वायु सम्बन्धि -
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचायन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के द्वापन क्रमांक 5573/TS/CECB/2021 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

02 / 11 / 2021 द्वारा आयरन और (मिनिंग) उत्पादन स्थान क्रमांक- 0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु संवाहन सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति 1 वर्ष (From the first date of month of commissioning of the mining) तक जी अधिक होता है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कर्तव्यान में स्थापित बुकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की दिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। सामिलि का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा पूरी में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की दिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. उत्पादन योजना — भारत सरकार, खान मंडलपुर, भारतीय खान नियन्त्रक कार्यालय के इच्छाम सं. नारायणपुर/लीह/खायो-1329/2022- नायपुर/100, दिनांक 27/05/2022 द्वारा (प्रभागु और हाईड्रो कार्बन ऊर्जा लिमिजनों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 17(3) एवं खनिंज संचालन एवं डिकान नियमानुसारी, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट खान-छोटेडोंगर, तहसील-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर में स्थित छोटेडोंगर लीह अयस्क खान क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर कि खनन योजना का उपायोग सह उत्पादन खान बंद करने की योजना की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. लीज का विवरण — लीज मेसर्स ज्ञायसवाल निको लिमिटेड के नाम पर है। लीज की 30 वर्षीय अधीन दिनांक 21/06/2005 से 20/06/2035 तक की अधिक होता है।
7. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

Land Use	LAND USE PATTERN			
	Area Proposed (Original)	Actual Area Utilized	Total Area (Ha.)	At the end of lease period
Area Under Pits	15.58	2.41	20.00	133.00
Area Under Utility Service, (road+Infrastructure)	4.24	7.21	17.48	21.00
Area Under Mineral Storage	0.50	0.40	5.00	0.00
Area Under Over Burden/Waste Dump	0.50	0.32	1.38	5.00
Area Under Plantation	0.00	0.00	0.20	32.26
Area for Gulland Drain/Rain water Harvesting	0.50	0.10	0.40	0.00
Surface Water Bodies	0.00	0.00	0.00	0.00
Settlements	0.00	0.00	0.00	0.00
Top soil stacking	0.00	0.30	0.03	0.00
Beneficiation Plant & Tailing Waste Disposal	4.00	0.00	2.70	0.00
Undisturbed area after 5 years for utilisation at later period	10.42	29.27	43.81	0.00
<b>Total Project Area</b>	<b>35.74</b>	<b>35.74</b>	<b>91.06</b>	<b>192.25</b>

8. कार्यालय, प्रधान मुख्य बन संस्थाका एवं उन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ को इच्छाम जनांक/भू-प्रक्षेत्र/खनिंज/331-173/1227 नायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा "Proposal involving non-forestry use of 91.00 ha. (192.250 ha) of forest land in favour of M/s Jayaswal Neco industries limited for mining of

iron located in village chhote doger, district Narayanpur (Chhattisgarh).” बाकी संशोधित पत्र जारी किया गया है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-घनीसा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रमार्ग 13 कि.मी. दूर है। गदीन नदी 3 कि.मी. दूर है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिसोलीजिल्ला रिजर्व 5,42,10,360 टन, माझनेबल रिजर्व 4,80,23,235 टन है। ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लौज होड में ऊपरी पिट्टी की कुल मात्रा 732 घनमीटर है। देव ती की कंधाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर है। लादान की सेवायित आयु 16 वर्ष है। लौज होड में क्राशर नदापिता किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग एवं बीचहोल कट्टोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। संशोधित माझनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022-23	19,00,476
2023-24	29,22,384
2024-25	29,49,976

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी पिट्टी के भंडारण हेतु 0.03 हेक्टेयर होड, औक्हरबर्डन/वेर्स्ट के भंडारण हेतु 0.32 हेक्टेयर होड एवं निनरल्स के भंडारण हेतु 5 हेक्टेयर होड में किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुभावित माझनिंग प्लान में दिया गया है।
12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 330 घनमीटर प्रतिदिन होती है, जिसमें से बैनीपिसियेशन प्लांट हेतु जल की मात्रा 245 घनमीटर प्रतिदिन है।
13. बृक्षारोपण कार्य – लौज होड की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में बृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लौज होड के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (3-tier plantation) में प्रथम वर्ष में ही बृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट कंधाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु फॉसिंग, खाद एवं शिंघाई तथा रक्ख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु जारी पर्यावरणीय स्टीक्सि दिनांक 22/03/2021 में अधिसंमित शर्त अनुसार लोक सुनवाई को दीरान उठाये जाये भुदों के आधार पर सीईआर के तहत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि सीईआर के तहत कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का आस-पास के क्षेत्रों में हूँको पार्क निर्माण हेतु याम पर्यायत से बृक्षारोपण किये जाने वाक्त सम्भवि उपरांत (आसना एवं रक्खा सहित) बृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट कंधाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु फॉसिंग, खाद एवं शिंघाई तथा रक्ख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**15. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि—**

- i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु तीओआर जारी की गई थी।

तदीपरांत बन गिराव छत्तीशगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 की जारी स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीरेंस (क्षेत्रफल-35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र नं.मांक J-11015/62/2019-IA-B(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा गुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर आपरन और (मुख्य खनिज) उत्थानन क्षमता-0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 295 मिलियन टन प्रतिवर्ष विष खनिकिकोशन प्लाट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

- ii. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha. PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.25 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha; may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.
- iii. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 अनुसार "7(i) Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects: (a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects." उल्लेखित है।

उक्त अधिसूचना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित उत्थान में लीज एरिया एवं उत्थान क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है। साथ ही पूर्व में बेसलाईन डाटा एकलित बन मॉडिलिंग बा कर्त्ता कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु ही किया गया था। युक्ति पूर्व में स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीरेंस 35.74 हेक्टेयर हेतु ही जारी किया गया था, तदानुसार ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृथक से दी ओआर (लोक सुनवाई सहित), ईआईए मॉडिलिंग डाटा की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा (यदि आवश्यक हो तो) भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से नारदहान लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

**16. हौ. श्री.परे. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य संस्कृत विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिभाव है कि—**

1. पूर्व में 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को कुल लीज क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु फॉरेस्ट क्लीरेंस स्टेज-II जारी की गई है। उत्थान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा गुल क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर

(कुल-७। हेक्टेयर) के पर्यावरणीय नवीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

- v. परियोजना प्रस्तावक की भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज-II। फारेस्ट कलीयरेस की आधार पर शेअपल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय नवीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज-II। फारेस्ट कलीयरेस प्राप्त अरिविका 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरण नवीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरण नवीकृति प्राप्त शेअपल (Increase in mine lease area) में बढ़ि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्ली द्वारा प्राप्त अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(e) (a)" के तहत कामता विस्तार का प्रकरण है। अतः अध्यक्ष महोदय का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कामता विस्तार के अंतर्गत नवीन ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

#### 17. समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:-

- i. श्री ढी. राहुल वैकट, सदस्य सचिव, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अध्यक्ष कामता विस्तार का माना जाना अध्यक्ष नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।
- ii. छो. हीलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अध्यक्ष कामता विस्तार का माना जाना अध्यक्ष नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।
- iii. श्री एन.कौ. चन्द्राकल, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण में कामता एवं मार्गदर्शन लीज एरिया में विस्तार नहीं होने का रजत डि-लिस्ट/ निरस्त करने की अनुशंसा हेतु असहमति व्यक्त की गई है।
- iv. श्री. मनोज खुनार गोपकर, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण निम्न तथ्यों से कामता विस्तार का नहीं है—
  - कुल मार्गदर्शन लीज एरिया 192.26 हेक्टेयर हेतु एलओआई जारी की गई है।
  - उत्पादन कामता में कोई बढ़ि नहीं हो रही है।
  - लोक सुनवाई एवं ईआईए कुल मार्गदर्शन लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु करता गया है।
  - उक्त करने से यह कामता विस्तार का प्रकरण नहीं है, किन्तु आवेदित प्रकरण के संबंध में संशोधन अध्यक्ष कामता विस्तार का है अध्यक्ष नहीं? बाकी भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्ली से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में निर्णय लिया गया कि—

i. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत माईनिंग के परियोजनाओं हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से माईनिंग लौज एवं इरिया का प्रस्तावन क्षमता में उद्दिष्ट होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

ii. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग लौज, माईनिंग प्लान एवं स्टेज-1 फारेस्ट बलीयरेस के आधार पर टी.ओ.आर (लोक सुनवाई शहित) होत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु जारी की गई थी।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल होत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु लोक सुनवाई तथा काईनल है आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

iv. स्टेज-II फारेस्ट बलीयरेस के आधार पर आवेदित प्रकरण को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/82/2019-JA II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लौज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन और (मुख्य खनिज) उत्पादन क्षमता-0.06 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष विश्व वेनिफिलोजन प्लांट + मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (v) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha; may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan, या उत्तरोत्तर है।

v. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज-II फारेस्ट बलीयरेस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। तरीक्तन में स्टेज-II फारेस्ट बलीयरेस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में सशोधन आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदित प्रकरण पूर्व में जारी 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर होत्रफल हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सशोधन का है? अत्यवा पूर्व में जारी माईनिंग होत्रफल 35.74 हेक्टेयर होत्रफल में 55.26 हेक्टेयर की उद्दिष्ट होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत क्षमता विस्तार का है? इस आशय के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झाप्यन दिनांक 23/03/2023 एवं समरण पत्र 26/05/2023 के परिपेक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन हेतु चत्र प्रेसीडिंग किया गया, परंतु जानकारी प्राप्त दिनांक लाल उपायक है। उसी प्रकरण मार्गदर्शन के परिपेक्ष में लिखित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 एवं 24/05/2023 को तथा प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

भारतीय सरकार यांत्रिक वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली रोमार्गदर्शन प्राप्ति नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधोक्षण एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया में उल्लंघित हथ्या निम्नानुसार है—

"The presentation was made before State Level Expert Appraisal Committee Chhattisgarh on 28/10/2022 and 09/02/2023 for the same and all documents and clarification sought for including the certified compliance report was submitted before the committee on the 10 of February 2023. This compliance submission was along with an Affidavit duly sworn in by the company about the submitted compliance status.

In MoM of 450<sup>th</sup> meeting dated 09/02/2023 it was opined that an opinion may be taken from MOEF New Delhi (Policy division) seeking clarification on whether the matter should be dealt under amendment or Expansion under section 7(i)(a) of EIA Notification date 23/11/2016. Copy of the letter send to MOEF was also marked to us.

We had perused the matter with MOEF New Delhi and we had been given to understand that no such opinion can be given on any individual case as there is clarity in the EIA notification. Moreover, substantial lapse of time had happened in between but no communication could be received.

Keeping in view the time lapsed, we had made a request to the Member Secretary vide our letter dated 11/06/2023 informing that we wish to submit this proposal under section 7(i)(a) of EIA Notification 23/11/2016.

However, while filing an application for expansion under 7(i)(a) vide SW/129039/2023 there is only four options given in the drop box under which an application under section 7(ii)(a) can be filed, the same are reproduced as below (Only increased in production with or without increasing the pollution load):

- i. More than 40% but up to 50%
- ii. Up to 20%
- iii. Up to 40%
- iv. Without increase in production capacity but with increase in pollution load.

Our case does not fall in any of the above category and we are unable to find any other options in filling the application. There is no such provision in the simple expansion procedure also on filling any application wherein there is no increase in production or no increase in mining lease area is happening. Hence we are constrained to file application under Amendment and we seek remedy for the same by this committee.

In view of the same, and the considerable lapse of time which had already occurred, we request for considering this proposal under simple amendment in EC on the following grounds :-

- a. TOR had been granted for 192.25 hectare and the entire EIA study and the Public hearing had been conducted on the entire 192.25 hectare forest land and its 10 km radius.
- b. EIA had been prepared accordingly covering the entire 192.25 hectare mining lease area and had been presented before the EAC committee of MOEF.
- c. EC had been granted by MOEF (IA Division) vide letter dated 22/03/2021.

- d. While granting the earlier EC, it has been stated that (page 8 of 15) specific condition No IV as the public hearing has been carried out for the entire 192.25 hectare, PP after taking stage 2 forest clearance for the remaining area i.e. 55.25 hectare, may again approach the ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.
- e. NPV for the entire Mining lease area (192.25 Hectare) stands paid. Compensatory afforestation charges also stands paid to the forest department. All compliance had been done as per the provisions.

Since there is neither increase in the mining lease area nor there is any increase in production hence section 7(ii)(a) of EIA notification 2016 is not applicable in this case. Hence we request you to treat this as case of "Amendment in EC" and grant us the requisite amendment accordingly without further waste of time. We will remain obliged for the same."

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नि द्वाता विचार विभाग उपराज सर्विसमिति से येसरा जायसवाल निको इण्डियन लिमिटेड, शाम-छोटेढीगर, तहसील व ज़िला-नाशिकपुर किंवा गृहि पार्ट ऑफ खासा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, बुल लोअरफल-192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (बुल-91 हेक्टेयर) में कमता-2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं अभिक्षियोजन प्लांट-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ यह भी कि This recommendation is being made subject to final outcome of clarification letter sought from MoEF&CC wide letter no. 2669, dated 23/03/2023 पर्यावरणीय स्थीरता में संशोधन दिए जाने की अनुसारा की गई (एवं अनुसारा भविष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी).-

- i. Project proponent shall carryout the EIA study in accordance to MoEF&CC circular issued from time to time & shall prepare EIA report / EMP incorporating the impact of mining on subject land and shall submit the copy of EIA / EMP within four months from the grant of amendment in environment clearance which will be further reviewed by SEAC for appraisal of the same.
- ii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- iii. The Project Proponent needs to implement the recommendations of the Slope monitoring studies to be carried out by CSIR. The implementation status of the same shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office (IRO) along with the six monthly compliance report.
- iv. The Project Proponent shall ensure that the low grade ore shall be effectively utilized.
- v. The Project Proponent shall continue the monitoring of ground induced blast vibrations for every blast through authorized institutes and the results are to be compared with the limiting values prescribed by Director General of Mine Safety (DGMS). PP shall ensure that the values of "peak particle velocity" and "Air Over Pressure shall be maintained below the permissible values prescribed by the DGMS, from time to time. The data needs to be maintained and submitted along with the six monthly compliance report.
- vi. The wildlife conservation plan shall be prepared in consultation with the State Forest / wildlife Department shall be implemented and compliance of the same shall be submitted to IRO of MDE&CC for every six months.

- vii. The Project Proponent shall take all precautionary measures during project operations / plant operations for conservation & protection of endangered flora as well as endangered fauna spotted in the study area / project area. Action plan for conservation of flora & fauna shall be prepared & implemented in consultation with forest department & wildlife department. Necessary allocation of fund for implementation of the conservation plan shall be made & the fund so allocated shall be included in the project cost. A copy of action plan must be submitted to the SEIAA & SEAC office within 6 months.
- viii. The Project Proponent shall also organize employment-based apprenticeship/ internship training program every year with appropriate stipend for the youth and other programs to enhance the skill of the local people. The data should be maintained for the training imparted to the persons and the outcome of the training, for the assessment of the training program should be analyzed periodically and improved accordingly.
- ix. The Project Proponent should periodically monitor and maintain the health records of the mine workers digitally prior to mining operations, at the time of operation of mine and post mining operations. Regular surveillance shall be carried through regular occupational health check-up every year for mine workers. PP shall also organize medical camp for the benefit of the local people and also the monitor the health impacts due to mining activity.
- x. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub>, CO and SO<sub>2</sub> etc. as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCB, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site. The real time data generated from the continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) should be displayed digitally at entry and exit gate of mine lease area for public display and shall be linked to server of CPCB/SPCB.
- xi. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM10 and PM2.5 are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MOEFCC/ Central Pollution Control Board.
- xii. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nullahs existing/ flowing in and around the mine lease including upstream and downstream. The parameters to be monitored shall include their water quality suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no

- obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year pre- monsoon (April May), monsoon (August), post- monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board.
- xiii. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off, acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J- 20012/1/2008-IIA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.
  - xiv. Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEFCC annually.
  - xv. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM, etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.
  - xvi. Industrial waste water (workshop if any and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.
  - xvii. Catch drains, settling tanks and siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.
  - xviii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby

- allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garkand drains.
- xix. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.
  - xx. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area.
  - xxi. The Project Proponent shall ensure the survival rate of 90% for planting the gap plantation and new plantation. The Project Proponent shall make the actual count on the saplings planted and its survival rate and in case of failure of achievement of 90% survival rate, action plan for achieving the target survival rate shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office Project proponent shall use saplings of 10 feet height for plantation.
  - xxii. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake regressing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. The implementation report of the above said condition shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office.
  - xxiii. Project proponent shall submit CER proposals of 2% of the total project cost preferably for creation of Eco Park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years in SEIAA, Chhattisgarh.
  - xxiv. Project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat.

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य कार्त यात्रावत रही है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संघन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का आलोचन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया तथा भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त कार्यवाही विवरण से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए।

परिवीजना प्रतावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए तथा / एवं तदानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली यो इसकी प्रति प्रेषित कर सूचित किया जाए।



11. बेसर्स छायत्रानपुरी स्लाइन स्टोन क्लारी (प्रौ.- श्री नरपत गौय), शाम-छायत्रानपुरी, तहसील-तीकापाल, जिला-बस्तर (संविवालय का नस्ती क्रमांक 2093)

ऑनलाईन आवेदन - प्रधानमंत्री नम्बर - एसआईए/ श्री/ / एमआईए/ 279296 / 2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 05/07/2022 द्वारा ज्ञानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दीशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेक्षित वांछित ज्ञानकारी दिनांक 17/04/2023 (परियोजना 2.0 में ऑनलाईन तकनीकी तुटि होने के कारण ज्ञानकारी मई माह से दरिया हुई) को प्राप्त हुई।

प्रत्यावर का विवरण - यह प्रवतावित दूना घास्तर (गोल खगिल) खदान है। खदान शाम-छायत्रानपुरी, तहसील-तीकापाल, जिला-बस्तर स्थित ज्ञानकारी क्रमांक 1415, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तुतित है। खदान की आवेदित उत्तराधान क्षमता-12,000 टन प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) सामिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरपत गौय, प्रोफेसराईटर हपरिष्ठल त्रुटि। सामिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- द्वाम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र - उत्तराधान की संस्था में द्वाम पंचायत शायत्रानपुरी का दिनांक 22/12/2018 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्तराधान खोजना - क्लारी पत्रान एलोग विश क्लारी बलोडर पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दलिय बस्तर दलेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 187 / खनिज / उत्तराधान / 2022-23 दलेवाड़ा, दिनांक 07/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पू. ज्ञापन क्रमांक 543 / खनिज / ख.लि. 4 / 02 / 2020-21 / उ.प. / 2022 जगदलपुर, दिनांक 15/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदाने, शोक़कल 2.77 हेक्टेयर हैं।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पू. ज्ञापन क्रमांक 545 / खनिज / ख.लि. 4 / 02 / 2020-21 / उ.प. / 2022 जगदलपुर, दिनांक 15/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सकत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम जैसे मंदिर भरिजाद, मरघट, असपाताल, साकुल, पुल, चंद, एनीकट एवं छल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होम निर्मित नहीं हैं।

6. गूगि एवं एलओआई. संघीय विकास – गूगि एवं एलओआई. की नरपति मीटिंग के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (यानिज शाखा) जगदलपुर, ज़िला-बस्तर के द्वापन क्रमांक 582/खनिज/स.लि.4/02/2020-21/स.प. /2022 जगदलपुर, दिनांक 02/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से + ३५ वर्ष की अवधि हेतु देख थी। तत्पश्चात् एलओआई. की वैधता दुहिं बाबत रायालतालय, औनिजी तथा खनिजमंडे के पृष्ठ द्वापन क्र. 3982/खनि 02/उ.प.-अनु.नियमा./न.का. 50/2017(1) नका रायपुर, दिनांक 12/06/2023 द्वारा जारी की गई पत्र की प्रति प्रस्तुत कि गई है जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ नौण खनिज नियम 2016 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकल्पन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के लहर रायालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्थीकृत प्राप्त करने एवं उत्तर्वानि पट्टा स्थीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" होना चाहया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन किभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बन नण्डलाधिकारी, बननप्लाट बस्तर, ज़िला-जगदलपुर के द्वापन क्र./क.त.क. /1005 जगदलपुर, दिनांक 06/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरक्षणाञ्चों की दूरी – निकटतम आवादी बाम-छापरभानपुरी 1.5 कि.मी., स्वूत बाम-छापरभानपुरी 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 1 कि.मी. दूर है।
10. पारिसंरक्षितकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतर्जन्मीय फैला, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिसंरक्षितकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,34,450 टन एवं माइनिंगल रिजर्व 1,34,916 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीना पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का कंप्रेसफल 2,900 बर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज़िड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की नोटाई 1 मीटर तथा कूल मात्रा 7,100 बर्गमीटर है। बैच ली कंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की गंभीरता आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ज़ाशार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिङ्कलव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | पंक्ति | 12,000 |
|--|--------|--------|
12. जल आवृत्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति एम बचाव सुझाव द्वारा हैकर के महादग्ध से किया जाएगा। इस बाबत् याम पंचायत का अनापनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. मृत्तिशोषण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में खाड़ी और 7.5 मीटर की पट्टी में 630 नग मृत्तिशोषण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (नीम, करंज, अर्जुन, तीक्ष्ण) पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 90,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये, रख-रखाव एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1.54,800 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 2.00,800 रुपये आगामी वार वर्ष हेतु पटकवार खाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खादान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – लीज क्षेत्र की खाड़ी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय वायिक्स (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविति के समक्ष प्रस्ताव से प्राची उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Chhaparbhapanuri Pavitra Van Nirman <b>Total</b>	2.98 2.98

16. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्तन का" के तहत (आंवला, बड़ी धीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) मृत्तिशोषण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रुपये हेतु पटकवार खाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम पंचायत सापरमानपुरी के सहमति उपरांत यक्षायोग्य स्थान (खासता क्रमांक 1137, क्षेत्रफल 0.33 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,100 घनमीटर है, जिसमें से 2,900 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज तक 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिबंधित होता) ने फैलाकर मृत्तिशोषण हेतु उपयोग किया जाएगा एवं शेष 4,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खासता क्रमांक 1166 / 8, क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर) में अपारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

**समिति द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. कायोलय कलेजटर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृष्ठापन क्रमांक 543 / खनिज / ख.लि.4 / 02 / 2020-21 / द.प. / 2022 जगदलपुर, दिनांक 15 / 06 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर छविस्थल 2 खदाने, क्षेत्रफल 2.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-छापरभानपुरी) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-छापरभानपुरी) को निलाकर कुल क्षेत्रफल 3.77 हेक्टेयर है। खदान की सीधा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल या उससे कम होने के बाहर यह खदान वी-2 क्षेत्री नी नानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन कंपनी (प्रो.- श्री नरपत मीरी) को शाम-छापरभानपुरी, तहसील-तोकायाल, जिला-बस्तर के खसरा क्रमांक 1415 में स्थित बूना पाथर (गोपन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, कमता-12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सहार्त अनुशासा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन कंपनी (प्रो.- श्री नरपत मीरी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा नियमित शर्तों के अतिरिक्त निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विचिका कार्रवाही की जाएगी।**

**परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।**

12. मेसर्स सर्वोत्तम इस्पात, औद्योगिक क्षेत्र रायभाड़ा, तहसील व जिला-रायपुर (संचिकालय का नस्ती क्रमांक 2396)

**अग्रलाईन आवेदन – प्रधानमंत्र नम्बर – एसआईए/ लीजी/ आईएनडी/ 427973 / 2023, दिनांक 03 / 06 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।**

**प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप की तहत औद्योगिक क्षेत्र रायभाड़ा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लाट नं 2 एवं 3 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल-0.4515 हेक्टेयर (4,515.08 वर्गमीटर) में रि-टील्ड स्टील प्रोफल्ड (एम. एस. रात्तुण्ड, रिल्ड चार, सी.टी.डी. बार्स, फ्लैट्स, स्लैट्स, रंगल, बैनल एवं गेट बैनल) कमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपए 1.35 करोड़ होगा।**

**रायानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडॉएसी, छलीसामढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।**

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2023:**

**प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप छुगानी, प्रोप्रोट्रॉटर उपरिषत् हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-**

## 1. जाल एवं पायु सम्मति –

- होशीय कार्यालय, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल फ्रॉडकटरा (एम.एस. रायपुर, शिख नार, सी.टी.डी. बासी, फैटेटा, सन्देशर, एनल, बैनल एवं गेट बैनल) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं पायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 15/03/2019 की जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक वैध है। प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कौचिङ-19 महानारी की कारण लक्षण में पूरी तरह से छुपाइन का कार्य नहीं किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया में स्थापित इकाईओं हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का भत है कि बताया गया में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

## 2. समीपस्थ लिखत क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी धाम रायमाटा 800 मीटर, स्फुल भनपुरी 950 मीटर एवं अवधाताल भनपुरी 1.48 कि.मी. की दूरी पर लिखत है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उपकरण 2.3 कि.मी. एवं बायामी डिवेक्टर दिवानपत्तन, महा. रायपुर 17.3 कि.मी. की दूरी पर लिखत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.4 मीटर दूर है। खासन नदी 5.6 कि.मी. एवं छोकरा नदी 800 मीटर दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतराज्जीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिस्थितिकीय संकेदनशील होते या धोखित जीवसिंविधान होते लिखत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- 3. लीज का विवरण – उत्तीर्णगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल ट्रैकलप्यमेट कौपीरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स समीक्षाम इस्पात, ओष्ठीमिक होते रायमाटा, जिला-रायपुर (प्रौ.- श्री दिलीप घुगानी) को प्लॉट नं. 2 (पार्ट), होत्रफल 0.31 एकड़ हेतु लीज 08/02/2006 से दिनांक 24/09/2009 तक, प्लॉट नं. 3 पार्ट (सामरा कमाक 705/1पार्ट एवं 705/8पार्ट), होत्रफल 0.495 एकड़ हेतु लीज दिनांक 22/08/2017 से दिनांक 28/01/2030 तक एवं प्लॉट नं. 2 (पार्ट), होत्रफल 0.31 एकड़ हेतु लीज दिनांक 03/02/2007 से दिनांक 02/02/2106 तक जारी किया गया है, इस प्रकार कुल 1.115 एकड़ (0.4615 हेक्टेएक्ट) हेतु लीज जारी की गई है।

## 4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area (Sq.m)	Area (%)
1.	Rolling mill area	961.05	21.28
2.	Raw material area	623.25	13.80
3.	Finished goods area	431.00	9.55
4.	Parking area	124.40	2.75
5.	Office	120.00	2.66
6.	Green belt	1,490.00	33.00
7.	Road area	585.30	12.53

8	Open area	200.08	4.43
	Total	4,515.08	100

### 5. रो-मटेरियल :-

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1	Billets/ Ingots	31,500	Open Market	By Road

### 6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

S. No.	Particular	Proposed
1	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

7. बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कोलौ गैसीफायर आधारित रि-हिटिंग फॉर्म रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि-हिटिंग फॉर्म रोलिंग मिल में उच्च द्रष्टव्य का बेट रक्कमर लगाया गया है एवं 30 बीटर इंजाई की विमानी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरांगन 50 मिलियां / सामान्य घनमीटर रखा जाता है। बयुजिटीव ड्रेट उत्तरांगन नियंत्रण हेतु जल छिद्रकाव की व्यवस्था है।
8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – रोलिंग मिल से मिल सांग-800 टन प्रतिदिन एवं एप्ल कॉटिंग-700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट को रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्कॉल एवं एप्ल कॉटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को दिया जाता है।
9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- \* जल खपत एवं क्षेत्र – परियोजना हेतु प्रीश बीटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (ओस्मिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, परेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं शीन बेट एवं ड्रेट खेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। साधित का मत है कि भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल याउण्ड बाटर अवौरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- \* भू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना ल्यल सेंट्रल याउण्ड बाटर बोर्ड के अनुसार ग्रिटिकल जौन में आता है। जिसके अनुसार-
  - (अ) दृढ़ एवं गम्यन उद्योगी को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्उद्धरण एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
  - (ब) याउण्ड बाटर रिचार्ज हेतु अपनाई नई तकनीक व्यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑटिंकिशियल जल रिचार्ज के आहार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल याउण्ड बाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
- \* जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – ओस्मिक प्रशिप्पा से कूलिंग उपरोक्त उनित दूषित जल को ठंडा कर पुनर्उद्धरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। परेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेण्ट्रिक टैक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निकालण की स्थिति रखी जाती है।

- रेन बॉटर हावीस्टिंग व्यवस्था – रेन बॉटर हावीस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल इआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तुतित है।
10. विद्युत आपूर्ति स्रोत – परियोजना हेतु 1000 के बीए विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छालीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग विमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के बीए अमला का बीजी रोट स्टेमिंग किया गया है, जिसमें विमिटी की ऊंचाई 6 मीटर है।
11. बूकारोपण संबंधी जानकारी – हारित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.1480 हेक्टेयर (33%) क्षेत्र में 190 नये बूकारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि हारित पट्टिका का क्षेत्रफल 33% से बढ़ाकर 40% किया जाना आवश्यक है एवं बूकारोपण हेतु (पीथी की सुख्ता रहित) पीथी का तोपण, सुख्ता हेतु फैलिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 बड़ी तथा 5 छोटी घटकावार एवं समरुद्धार व्याय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल इआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि देसलाईन भाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है। उक्त के संबंध में सूचना दी गई।
13. भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार “The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.
- Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification.” का उल्लेख है।
- समिति द्वारा विद्यार विभाग सुपरिंस्ट्रांट सर्वेसमिति से भारत सरकार, पर्यावरण, दन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैन्डर्ड हमी ओफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इआईए/इएमपी, रिपोर्ट कॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीक्टीज रिकार्ड्सिंग इन्वायरमेंट कलीफरेंस अप्लाई इआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित बोर्डी 3(ए) का स्टैन्डर्ड टीओआर (विना लोक सुनवाई) मेटालर्गिकल इण्डस्ट्रीज (फैब्रिक एण्ड नीच-फैब्रिक) हेतु विष्णु अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने वी अनुशासन की नई—
- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
  - ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
  - iii. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.

- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vi. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- vii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- viii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.
- xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार दिमार्ज उपचांत सर्वसमानति से**

समिति की अनुसंधान को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टम्सी औफ रेकोर्ड्स (टी.ओ.आर.) (किना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्सी औफ रेकोर्ड्स (टी.ओ.आर.) (किना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

13. मेसर्सी अकित स्टील, रिंग रोड-2, ग्राम—गोदवारा, तहसील व ज़िला—रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2397)

ऑनलाइन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनटी/ 428039 / 2023, दिनांक 04 / 05 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिंग रोड-2, ग्राम—गोदवारा, तहसील व ज़िला—रायपुर स्थित खासरा क्रमांक 243/3, 245/1 एवं 245/2, कुल क्षेत्रफल—0.607 हेक्टेयर में टी—रोल्ड स्टील प्रोफलट्स (एम.एस. पलेट, एम.एस. रात्रपल बार, एम.एस. एनल्स) कमता — 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 8.28 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 23 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु मूल्यित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार देवांगन, अधिकृत प्रतिमिति उपरिषित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियाँ पार्दू मध्ये—

1. जल एवं वायु सम्पत्ति —

- होशीर कर्तव्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्यण मंडल, रायपुर द्वारा रि—रोल्ड प्रोडक्ट्स कमता—30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 04 / 05 / 2022 की जारी रकी गई, जिसकी वैधता 01 / 08 / 2022 से 31 / 07 / 2025 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्यण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति शर्तों के पालन में की गई गमर्दीपात्री की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि बर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्यण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति शर्तों के पालन में की गई गमर्दीपात्री की विन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्यण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. मू—स्थानित्य — मू—स्थानित्य संबंध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खासरा क्रमांक 243 / 3 रक्षा 0.061 हेक्टेयर, खासरा क्रमांक 245 / 2 रक्षा 0.343 हेक्टेयर, खासरा क्रमांक 243 / 3 रक्षा 0.066 हेक्टेयर एवं खासरा क्रमांक 245 / 1 रक्षा 0.247 हेक्टेयर मेसर्सी अकित स्टील (पार्टनर— श्री जयप्रकाश झण्डवाल) के नाम पर है।

3. सामीपस्थ स्थिति क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- समीपस्थ आवादी सरोवर 200 मीटर, स्कूल सरोवर 700 मीटर, असपाताल गुडियारी 1.62 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन 2.8 कि.मी. एवं स्वामी विंडकान्द विभानपत्तन, माना, रायपुर 17.4 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। लासन नदी 7.7 कि.मी. एवं छोकरा नाला 6.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजनीय नदी, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

#### 4. सेक्ष्युल एरिया स्टेटमेंट -

S.No.	Particular	Area (Sq.m)	Area (%)
1	Plant area	3055	50.3
2	Green belt	2,003	33.0
3	Internal road, Parking etc.	752.4	12.4
4	Open area	259.6	4.3
	<b>Total</b>	<b>6,070.00</b>	<b>100</b>

#### 5. नीं—मटेरियल -

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Ingots/Billets/ Bloom	32,000	Local Market	By road

#### 6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

S. No.	Particular	Proposed
1	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2	Products	Re-rolled Steel products – 30,000 TPA

7. बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - यहानान में रि-हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईधन के रूप में कोयले को कोल गैसीफायर के माध्यम से गैरा का उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफायर से जनित टीर को अधिकृत कोल टीर इकाई की प्रदाय किया जाता है। स्थापित रि-हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दबाता का बैट सफ्टवर समाया गया है एवं 30 मीटर लंबाई की घिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित घमनी से पार्टीकुलेट मेटर का उत्तरांजन 50 मिलियाम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। पश्चिमी लहर उत्तरांजन नियन्त्रण हेतु जल छिन्हकार की व्यवस्था है।
8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - रोलिंग मिल से मिल स्कैल-892 टन प्रतिवर्ष, एप्लिकेशन-1,308 टन प्रतिवर्ष, मुख्यपल केस्ट-8.3 टन प्रतिवर्ष, बेग किल्टर से जनित लस्ट-36 टन प्रतिवर्ष, फ्लाई ऐश-352 टन प्रतिवर्ष एवं युज़ औयल 0.5 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्कैल को केवल एलीट यूनिट को प्रदान एवं एप्ल कलिंग को इप्लिकेशन फर्नेस इकाई को प्रदान किया जाता है। युरल औयल को अधिकृत रिटाइक्लर को दिक्कत किया जाएगा।
9. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खचत एवं स्त्रोत - परियोजना हेतु प्रारम्भ में कुल 13.5 घनमीटर (घन टाइम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु

प्रीवा बॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (ओद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर, प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाता है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राहण बॉटर अधीक्षिती से 8 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – ओद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरात प्रतिशत दूषित जल की ठंडा जल पुनः कृतिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निःसारण की स्थिति रखी जाएगी।
  - भू-जल उपयोग प्रबंधन – उद्योग रूपल सेन्ट्रल ग्राहण बॉटर कोड के अनुसार ग्राहक जोन में आता है। जिसके अनुसार –
    - (अ) बृहद एवं मध्यम उद्योगों की कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वाप्तण एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
    - (ब) ग्राहण बॉटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्डिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के अन्तार पर भू-जल विकाले जाने की अनुमति सेन्ट्रल ग्राहण बॉटर बीड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
  - रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था होना बताया गया है। सभिति का भत है कि रेन बीटर हार्डिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. विद्युत आपूर्ति स्रोत – कार्यमान में परियोजना हेतु 5000 के लीए विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति धूतीसगढ़ राज्य विद्युत विभाजन कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के लीए वामता का दी सेट स्थापित स्थापित किया गया है।
11. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पटिकल को विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 2,005 वर्गमीटर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 800 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। सभिति का भत है कि हरित पटिकल का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पीपी की सम्भा सहित) पीपी का पोषण, सुख्ता हेतु कैलिंग, खाद एवं विचाई तथा सुख-स्थान के लिए 6 वर्षी का वर्षीकार पटिकल एवं सम्बद्धार याप का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन हाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है। एकत के संबंध में सूचना दी गई थी।
13. मानत संवाद, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंडलय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.अ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the

Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification.” का उल्लेख है।

रामिति द्वारा विचार कियहु सर्वसम्मति से भारत सरकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ). दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टम्प्स ऑफ रिकार्ड्स (टीओआर) फॉर ईआईए /ईएमपी रिपोर्ट कौर ब्रोजेक्ट्स /एवटीडीटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट एक्टीवरेस अप्रूव ईआईए नीटिकिकोशन, 2006 मे वर्णित थेजी 3(e) का स्टैण्डर्ड टीओआर (विना लोक सुनवाई) मेटालजिकल इण्डस्ट्रीज (फैक्टरी एण्ड नीन-फॉरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit that there shall be no increase in consumption of coal.
- iv. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that no increase in coal consumption under any circumstances.
- v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.
- viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall complete plantation work at the time of EIA.
- xiii. Project proponent shall submit the disposal of solid waste at the time of EIA.
- xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.
- xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 6 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संघन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती की अबलोकन पिलाया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार्ता उपरोक्त सर्वसम्मति की समिति की अनुशासन को सीधार बासी हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (यिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (यिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

14. गेहारा लदहूबद सौषह नाईन (प्रौ.- श्री पुरुषोल्लाम यादव), गाम-लदहूबद, तहसील-मस्तूरी, ज़िला-बिलासपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2409)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428482 / 2023, दिनांक 08 / 05 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह प्रस्तावित रेत (गोण स्थगित) खादान है। यह खादान गाम गाम-लदहूबद, तहसील-मस्तूरी, ज़िला-बिलासपुर लियत खासता क्रमांक 156, कुल हेक्टेयर 4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थानन जितनाज्य नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खादान की आवेदित रेत उत्थानन हामता-1,16,565 घनमीटर प्रतिक्षर्ष है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु भी पुरुषोत्तम यादव, प्रौद्योगिक उपस्थिति हुए। नामिति हारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी किवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — ऐसा उत्खनन के संबंध में याम पंचायत अमलशीला का दिनांक 22/02/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. घिन्हाकिना/सीमांकिना — कायालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान घिन्हाकिना/सीमांकिना कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना — रिवर बैड सेप्ट बाईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के छापन क्रमांक 206/खनि/रेत/उत्खनन योजना/2023 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2023 हारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कायालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के छापन क्रमांक 212/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भौतिक अवस्थित अन्य रेत खदानों की संलग्न निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम्प/संरचनाएँ — कायालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के छापन क्रमांक 212/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम्प जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, बंदिर, बक्सिय, गुरुद्वारा, मरम्पट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दित नहीं हैं।
7. एलओआई संबंधी विवरण — एलओआई, भी पुरुषोत्तम यादव के नाम पर है, जो कायालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के छापन क्रमांक 3299/खनि/रेत गोलामी/2023 बिलासपुर, दिनांक 14/03/2023 हारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। जारी एलओआई, में “रेत खदान उत्खनन पटटा अवधि 2 कर्व की स्वीकृति के लिए निम्नतिहित शर्तों के पूर्ण हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।” का उल्लेख है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — लीज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—उदहृष्ट 350 मीटर, सबूत याम—उदहृष्ट 400 मीटर एवं असपाताल कलाडोल 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 99 कि.मी. दूर है। नहाल 25 कि.मी. नहर 1 कि.मी. एवं तालाब 420 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. खनन स्थल पर नदी की पाट की ऊँड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी की पाट की ऊँड़ाई – अधिकतम 590 मीटर, न्यूनतम 580 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 340 मीटर, न्यूनतम 239 मीटर एवं खनन स्थल की ऊँड़ाई – अधिकतम 171 मीटर, न्यूनतम 169 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किमारे से दूरी अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की बोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुसारित भाईनिंग प्लान अनुसार खदान में भाईनीबल रेत की मात्रा 1,16,565 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चर्तीमान में उपलब्ध रेत सतह की बोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ़डे (Pits) खोदकर उभयनी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसको अनुसार रेत की उपलब्ध औरत गहराई 5.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुणा 25 मीटर के गिरि दिन्दुओं पर दिनांक 28/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपलब्ध कोटीशाफ्ट्स सहित जानकारी/वर्तमान प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कौर्परेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्ताव से चारों उपरात निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
		Following activities at Nearby Village-Mukundpur, Gram Panchayat Basantpur		
37.61	2%	0.75	Plantation with fencing around Village Pond & 5 Year AMC	0.90
			Total	0.90

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 30 नग पीठी को शोषण किया जाएगा। युक्ताशेषण हेतु (आग, जागून आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीठी के लिए राशि 3,000 रुपये, फेसिंग के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद तो लिए राशि 1,500 रुपये, लिंडाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम दर्ता में कुल राशि 24,000 रुपये तथा आगामी 4 दर्ता में कुल राशि 66,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम-मुकुंदपुर, याम पंचायत बसंतपुर के सहनाति उपरात

पृष्ठापर्याप्त समाचार (धारा-सुकुमार जीवनकालीन विवरणों के साथ) क्रमांक 50 में दिए गए उल्लेख में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. तृक्षारोपण कार्य – नदी तट में 600 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग (कुल 800 नग) तृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है—

विवरण	प्रथम वर्ष (लघुवी)	द्वितीय वर्ष (कम्पवी)	तृतीय वर्ष (कम्पवी)	चतुर्थ वर्ष (कम्पवी)	पंचम वर्ष (कम्पवी)
प्रत्येक नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से दायरना कुल उत्तरार्द्ध के नियंत्रण हेतु जल छिपकाना	50,000	50,000	—	—	—
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (800 नग) तृक्षारोपण हेतु जीवन दर)	80,000	—	—	—	—
फौसिंग हेतु राशि	1,20,000	—	—	—	—
खाद राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
सिलाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 12,50,000	4,40,000	2,40,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000

16. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से प्रयुक्तिव ड्रेट उत्तरार्द्ध होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिपकाव की व्यवस्था किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. खादन क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सध्यन तृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पौधों का सरकाईकल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. उत्तीर्णगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, जलालय, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खादन से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लाभित नहीं है।
21. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भावत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन भवालय की अधिसूचना का आ-

804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लखित नहीं है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 06/01/2020 की writ petition (S) Civil No. 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिनांकित निर्देशों का पालन किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उल्लंघनम् घोषना में दिए गए नियमों का 60 प्रतिशत रिवर्स ही उल्लंघन किया जाएगा एवं खादन में तथा छन्न की दीरण सहनेवाले शेष मार्फतिगंग गाईबलाईन 2016 एवं ईन्कोरेंगेट एप्ल मॉनिटरिंग गाईबलाईन्स और सेप्ट 2020 के प्राक्षयानों का पालन किया जाएगा।
25. सीईआर कार्य एवं नदी तट में बूझारीपाण कार्य की मॉनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु विप्रकृति-प्रभावीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिभिति) द्वारा धन्यवाच के पदाधिकारी/प्रतिभिति एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मन्डल के पदाधिकारी/प्रतिभिति) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं नदी तट में बूझारीपाण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरात गठित विप्रकृति-प्रभावीय समिति से सम्बन्धित कराया जाना आवश्यक है।
26. लीज क्षेत्र के घासों कोनी तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेट के सामने लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
27. ऐसा उल्लंघन मैनुअल लिखि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यत्र भारी बाहन की लेनी की है। अत भराई का कार्य मैनुअल लिखि से ही कराई जावे। भारी बाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर ली गहराई तक उल्लंघन की अनुमति मार्गी है। अनुमोदित उल्लंघनम् घोजना में उल्लंघन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्जन्म संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्त्वावधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जियनाथ नदी कही नहीं है तथा इसमें वर्षाहाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जन्म होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किमशी उपरात सर्वेत्तम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खादान (ग्राम-उदार्दीवट) का एकड़ा 4.09 हेक्टेयर है। खादान की सीमा से 500 मीटर की परिसीम में स्वीकृत/संचालित खादानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खादान दो-३ शेषी ली मार्गी गई।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खादान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राम अध्ययन (Saturation Study) करायेगा, ताकि रेत का पुनर्जन्म (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, ऐसा उल्लंघन का नदी, नदीतल, स्थानीय बनसपाति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर ऐत उत्खनन के प्रभाव की रही जानकारी प्राप्त हो सके।

### ३. लीज क्षेत्र की सतह का वैसलाईन ढाटा –

- i. ऐत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित शिल्ड बिन्दुओं पर नदी में ऐत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्व कर उसके आंकड़े तथा काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत किये जायें।
- ii. पोर्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में ऐत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इनी शिल्ड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीन एवं डाउनस्ट्रीन में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्व पूर्व निर्धारित शिल्ड बिन्दुओं पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार ऐत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम रातों/जून के प्रथम सप्ताह) इनी शिल्ड बिन्दुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iv. ऐत सतह के पूर्व निर्धारित शिल्ड बिन्दुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी ३ वर्ष तक निराकार किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर २०२३, २०२४, २०२५ एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त २०२३, २०२४, २०२५ तक अनियायी रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. लीज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, बन विभाग से यारी अनावशित प्रभाव घट को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की जर्ती के अधीन एवं बन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्थीकृति की सशत अनुशासा की जाती है।
6. समिति द्वारा विवार विनाश उपरोक्त सर्वसमति से नेसर्ते उदाहरण सेप्ट नाईन (प्रो. - श्री पुरुषोत्तम यादव), खसरा ब्लॉक - १५६, बाम-उदाहरण, राहसील-गल्लूरी, शिला-शिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल ४.०९ हेक्टेयर क्षेत्र के कुल ६० प्रतिशत क्षेत्रफल में ही ऐत उत्खनन अधिकतम १.५ मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल ८१,३०० घनमीटर इतिवृत्ति हेतु ऐत उत्खनन खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की राशत अनुशासा की गई। ऐत की खुदाई व्यक्तियों द्वारा (Manually) की जाएगी। निवार बेड (River Bed) में भारी बाहनी/यंत्रों का प्रयोग प्रतिवर्धित रहेगा। लीज क्षेत्र में रिक्त ऐत खुदाई चौड़ी (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक ऐत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. ईन्कोर्सेमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स, २०१६ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्कोर्सेमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स पौर सेप्ट माईनिंग, २०२० (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ६० प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 की संघर्ष 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये भैसर्स उद्देश्य सेप्ट लाइन (प्री- श्री पुस्तकोत्तम यादव) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। ताकि ही समिति द्वारा निहित किये गये जाती का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की विधति में विधिवत् वैधानिक एवं वागङ्गात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. लीज सीमा से निकटतम तरफ हीन की वास्तविक दूरी संकीर्ण जानकारी वर्त विवाह से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरात ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. वर्षा छतु के द्वितीय ऐत उत्त्थानन का कार्य नहीं किये जाने वाला संपर्क पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरात ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. भैसर्स बालूद सेप्ट कार्यालय (प्री-1) (संधिक/संरचना, याम पंचायत बालूद), याम-बालूद, तहसील व ज़िला-दंतेवाडा (संधिकात्मक का नस्ती क्रमांक 2410)

ऑफिलाईन आवेदन – प्राप्तिगत नम्बर – एसडॉए/ सीजी/ एमआईएन/ 428660 / 2023, दिनांक 09/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण समिति) खदान है। खदान याम-बालूद, तहसील व ज़िला-दंतेवाडा जिला पाटी और खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल-3.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्त्थानन छंकनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्त्थानन छंकना-38.400 एनीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडॉएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु सारणी श्री सन्दुष्टम कश्यप एवं संधिक श्री वसंत कुमार नाथक, याम पंचायत बालूद से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकीर्ण विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम उचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – ऐसा उत्त्थानन के संबंध में याम पंचायत बालूद का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विनाकित/ सीमांकित – कार्यालय बालैटर, समिति जानका से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विनाकित/ सीमांकित कर प्राप्तित है।

4. उत्तराखण्ड यौजना – ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो उष्ण-संबद्धालय (ख. ५.) जिला-उत्तर बस्तर कानून के ज्ञापन क्रमांक ८२९/खनिज/उत्तर यौजना/रेत/2022-23 उपकानून, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 117/खल./खनिज/रेत/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य ऐत खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 116/खल./खनिज/रेत/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, नरियाद, गुरुद्वारा, मरमट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. एलओआई संबंधी विवरण – एलओआई, सचिव, सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 4037/खल./खनिज/रेत/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एलओआई में “ऐसा हेतु उत्तराखण्ड पट्टा दिलेता के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखण्ड पट्टा स्थीरता के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।” का उल्लेख है।
8. बन विभाग का अनापकीत प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना प्रवर्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय बनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा बनमण्डल दंतेवाड़ा में दिनांक 15/05/2023 को प्रवाचन किया जाना बताया गया है। सनिति का नाम है कि लौज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की गास्तायिक दूरी संबंधी जानकारी, बन विभाग से जारी अनापकीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-बालूद 1.5 कि.मी., स्थूल ग्राम-बालूद 2.1 कि.मी. एवं अरपताल दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। स्थीरत ऐत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं हैं।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की घीड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की घीड़ाई – अधिकतम 173 मीटर, न्यूनतम 121 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 431 मीटर एवं खनन स्थल की घीड़ाई – अधिकतम 124 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है।

सनिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की घीड़ाई 173 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 18

मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की ओराई 121 मीटर है। उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 13 मीटर है। अतः यह माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. खदान स्थल पर ऐत की ओराई – आवेदन अनुसार स्थल पर ऐत की गहराई 2 मीटर तक ही रहा खनन की प्रस्तावित गहराई 1 मीटर दर्जी हो गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेशन ऐत की भाँति 38,400 मघमीटर है। ऐत तत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बत्तेमान में उपलब्ध ऐत सतह की ओराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ़े (4Ha) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भाष्यन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार ऐत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। ऐत की वास्तविक गहराई हेतु चर्चनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में ऐत सतह के लेवल्स – ऐत तत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के फिल विन्डओ वर दिनांक 24/04/2023 को ऐत सतह के बत्तेमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात छोटीशाफ्ट सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कौदीरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सनिति के सम्बन्धित रूप से चर्चा उपरात विमानानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14	2%	0.28	Following activities at Nearby Deogudi, Village- Balood Plantation with tree guard in Deogudi & 5 years AMC <b>Total</b>	3.99 3.99

सीईआर के अंतर्गत याम-बातूद स्थित देवगुड़ी में (नीम, आम, बीपल, कट्टघ, जानुन, बरगद, अमलताता, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) बृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पीड़ी के लिए राशि 5,395 रुपये, फैसिंग को लिए राशि 21,300 रुपये, खाद के लिए राशि 540 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,09,235 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,488 रुपये हेतु घटकवार वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम पचायत बातूद की सहमति उपरात बक्षारीय रथान (खानारा छमांक 654, रकांक 30 डिस्ट्रिक्ट) के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. बृक्षारोपण कार्य – नदी तट पर (नीम, आम, बीपल, कट्टघ, जानुन, बरगद, अमलताता, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) बृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार

217 नग पौधों की लिए राशि 16,492 रुपये, कॉलेज के लिए राशि 65,100 रुपये, खाद की लिए राशि 1,620 रुपये, शिंचाई तथा रस्य-रस्खाव के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,55,212 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 2,95,408 रुपये आगामी 4 वर्षों तक घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. सीईआर कार्य एवं नदी तट में बुझारोचण कार्य के भौमिकरिंग एवं पर्यावरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोफराइटर/प्रतिनिधि छाम पर्यावरण की पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अंतीसगढ़ पर्यावरण संस्थापन मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं नदी तट में पुझारोचण का कार्य पूरी किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति ने सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
17. लीज क्षेत्र के छाती कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेट के खाने गहाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
18. रेत उत्थानन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लौहर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लौहर जैसे कंत्र भारी वाहन की श्रेणी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
19. परियोजना प्रकल्पक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्थानन की अनुमति याची है। अनुमोदित उत्थानन योजना में उत्थानन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भारण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भारण होने वी संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (छाम-बालूद) का रुकड़ा 3.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संवालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रकल्पक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तुत गाद अध्ययन (Sediment Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) यात्रा सही ओर हो, रेत उत्थानन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन ढाटा—
  - i. रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित शिल्प विन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आकड़े रात्काल एसईआईए एवं अंतीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
  - ii. पीस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर वाह में रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही शिल्प विन्दुओं में नाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अवस्थीय एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा उनन के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित शिल्प विन्दुओं पर किया जायेगा।

- iii. हसी प्रकार ऐत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (गई गाह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही शिल्ड डिन्दुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iv. ऐत सतह के पूर्व निर्धारित शिल्ड डिन्दुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक गिरेतर किया जाएगा। पीसट—मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री—मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से ऐस ही आईएपी, भारतीयगढ़ की प्रस्तुति किए जायेंगे।
4. लौज सीमा से निकटतम छन झेत्र की वास्तविक दूरी सभी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रणाले पर ध्याप कर उसकी प्रति ऐस ही आईएपी, भारतीयगढ़ में आवश्यक रूप से प्रत्युत करने की जरूर के अधीन पर्यावरणीय स्थीरता की सशर्त अनुसारा की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार किए उपरांत सर्वसम्मति से मैत्रसं बालूद सेण्ट बाहरी (झी-1), (सतर्पंच, चाम पंचायत बालूद (झी सन्मुखम कश्यप)), पाटी औफ लसरा क्रमांक – 31, ग्राम-बालूद, लहसील व जिला-दलेवाहा, कुल लौज झेत्रफल 3.84 हेक्टेयर क्षेत्र के कूल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही ऐत उत्खनन अधिकातम 1 बीटर की गहराई तक स्थीरित रखते हुए, कुल 23.040 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु ऐत उत्खनन खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए पर्यावरणीय स्थीरता की जाएगी। विवर बेच (River Bed) में भारी बाहनी/यज्ञी का प्रवेश प्रतिविधित रहेगा। लौज झेत्र मै शिखि ऐत बूदाई गढ़ (Excavation pits) व लोडिंग बाईट तक ऐत का परिवहन ट्रैक्टर हीती द्वारा किया जाएगा।
6. शब्दोन्बल सेण्ट माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फोर सेण्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. ईन्फोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फोर सेण्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संघर्ष 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की उनुसारा को स्थीरत रखते हुए गैरसं बालूद सेण्ट बाहरी (झी-1), (सतर्पंच, चाम पंचायत बालूद (झी सन्मुखम कश्यप)) को पर्यावरणीय स्थीरता की जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये जरूर के पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विविध कैगानिक एवं वाष्पात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. श्रीमा श्रीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, उन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. वर्षों अंत में को दीर्घन रेत उत्थानन का कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।



16. गेसरा गणपति इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरांश्चाम—उत्तरांश्चाम—उत्तरांश्चाम, उत्तरांश्चाम व जिला—रायपुर (संक्षिप्तालय का नस्ती क्रमांक 2411)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / श्रीजी / आईएनडी1 / 428639 / 2023 दिनांक 09 / 05 / 2023 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तरांश्चामिक क्षेत्र, प्लॉट नं. 66 एवं 66, गाम—उत्तरांश्चाम, उत्तरांश्चाम व जिला—रायपुर रिप्पत खातांक क्रमांक 175 / 1, 175 / 2, 175 / 3, 175 / 4 एवं 180 / 1, कुल क्षेत्रफल—1.29 हेक्टेयर में रि-रोल्ड स्टील ग्रोडकर्डा कमता—30,000 टन प्रतिक्षर्वे हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विविधान रूपए 3 कठोर होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तरांश्चाम के जापन दिनांक 23 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिविधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27 / 06 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दीर्घन उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता में बढ़ि होने की वारण आवेदन की वापस लिये जाने का अनुरोद किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

शामिल द्वारा विचार विभर्तु उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई-आईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने वाली अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16 / 09 / 2023 को संघर्ष 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / जानकारी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभर्तु उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्राकृति में यथाकृत डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत वारकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन भ्रातालय द्वारा जारी ई-आईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय—समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।



17. मैसर्स रोन्डल सीमेट इंडस्ट्रीज (पार्टनर— श्री जयविं अयवाल), ग्राम—सरोता, तहसील—तिलदा, ज़िला—शायपुर (संचियालय का नस्ती क्रमांक 2412)

ऑनलाईन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 428756 / 2023 दिनांक 10/06/2023 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह अनुसन्धान का प्रकारण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम—सरोता, तहसील—तिलदा, ज़िला—शायपुर स्थित खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811 बुल नंबरफल—0.224 हेक्टेयर क्षमता दिस्तार के तहत स्टेट अलोन शीमेट एर्डिंग एमेंट क्षमता — 150 टन प्रतिदिन से 1,000 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 5 करोड़ होगी।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञायन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पर्मन्द शाय, अधिकृत परियोजना उपरिकृत हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना हेतु बुल नंबरफल 3.085 हेक्टेयर के तथा पुलिया 0.224 हेक्टेयर का उल्लेख करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त त्रुटि होने के ज्ञायन दिनांक 27/06/2023 को पत्र के माध्यम से आवेदन को जापन किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार किमर्ति उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण सो आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशासा की गई तथा ईआईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशासा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण नीं दिनांक 15/09/2023 को संघन 153वीं बैठक ने विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / ज्ञानकारी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमर्ति उपरांत सर्वसम्मति से समिति यी अनुशासा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का विर्यय किया गया। साथ ही प्रस्ताव को जानान में प्राप्त ग्राहक ने यथावत डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाय दिया जाता है कि यह भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन नज़ारत द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं सामय—समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

18. मैसर्स गोदावरी पौकर एण्ड इक्सप्रेस लिमिटेड (आरीडोगरी आवरन और माईन), ग्राम—कुलदे एवं परैकोदी, तहसील—भानुप्रसापपुर, ज़िला—उल्लार बस्तर कांकेर (संचियालय का नस्ती क्रमांक 2210)

ऑनलाईन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 408229 / 2022 दिनांक 28/11/2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह अमता विस्तार का प्रकल्प है। यह आयरन और (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम—कब्जे एवं परेकोडी, तहसील—भानुप्रतापगढ़, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर में Expansion proposal for Aridongan iron ore mines for enhancement of iron ore production capacity from existing 2.35 Mtpa to 6 MTPA with total excavation quantity of 21.34 MTPA, setting up by way of putting up of a new and enhancement / modification / replacement of existing iron ore crushing, screening, grinding and beneficiation plant of 6 MTPA capacity, setting up of additional Dolomite / Grunerite Aggregate crushing and screening plant from 2 MTPA with increase in mine lease area from 138.96 Ha to 215.96 Ha (Total mining lease area as per block allotment is 138.96 Ha + 77 Ha additional land outside mine lease area for scientific disposal / dumping of overburden waste) के लिए दी ओर हेतु आयोजन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपर्युक्त विविधों का कुल लागत 27,891 लाख होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गण राम वर्मा, बाइरा प्रेसिडेंट माईनिंग, श्री सजद श्रीकास्तव, असिस्टेंट बाइरा प्रेसिडेंट इन्हायरीमेट एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में ऐससे बदान इन्हायरीनेट, गुरुग्राम की ओर से श्री अंकुर अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अध्यलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखति पाई गई—

#### १. घूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल—106.6 हेक्टेयर, क्षमता—7,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25/06/2007 की जारी की गई।
- ii. आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल—106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता—7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12/12/2014 की जारी की गई। तत्परतात् आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल—106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता—7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26/05/2016 की जारी की गई।
- iii. आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल—138.96 हेक्टेयर क्षमता—14,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23/06/2021 की जारी की गई।

iv. परियोजना प्रत्यावरण को एकीकृत शोधीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, द्वन् एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पहुंच में जारी प्रदानकरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23/06/2021 का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर की ओपन क्रमांक 782/खनिज/ख.प./2022 कांकेर दिनांक 02/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक रूपी में किये गये उत्थानन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्थान (टन)
2013–14	3,25,797.61
2014–15	4,04,271.35
2015–16 (अप्रैल से अगस्त 2016 तक)	1,22,941.69
सितम्बर 2015–16	2,97,128.17
2016–17	9,85,179.41
2017–18	12,07,017.62
2018–19	11,82,025.24
2019–20	13,47,258.84
2020–21	13,99,971.09
2021–22	21,04,823.91
2022–23 (सितम्बर 2022 तक)	11,69,436.99

## 2. जल एवं वायु सम्पत्ति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्याण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरण और कमता-2.35 खिलियन टन प्रतिवर्ष, आयरण और कलाव विध स्कीमिंग कोसिलिटी कमता-400 टन प्रतिवर्ष, आयरण और कलाव फ्लाट विध मेगानेटिक सेंट्रेटर कमता-250 टन प्रतिवर्ष एवं डोलेराइट जिलिंग एप्ल रस्तीनिंग फ्लाट कमता-2 खिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 07/07/2022 को जारी की गई है, जो तिनांक 15/08/2024 तक है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्याण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति रूपी के पालन में की गई कार्यवाही नवी विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. शाम पंचायत का अनापस्ति प्रमाण पत्र – उत्थानन के सबूद में शाम पंचायत पर्सेकोडी का दिनांक 07/10/2022 एवं शाम पंचायत गव्हर्नर का दिनांक 27/10/2012 का अनापस्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. उत्थानन योजना – रियूत और माईनिंग फ्लान एप्ल फ्रोमेसिव माईन फ्लोजन फ्लान प्रस्तुत किया गया है, जो शोधीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो की ओपन क्रमांक/कांकेर/लौह/खयी-1227/2019 रायपुर दिनांक 09/01/2020 द्वारा अनुमोदित है। प्रकल्प नाईनिंग फ्लान कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर, आयरण और माईन कमता 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के द्वारा न परियोजना प्रत्यावरण द्वारा बताया गया कि माईनिंग फ्लान अनुमोदन हेतु ग्रापट माईनिंग फ्लान भारतीय खान ब्यूरो में प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर आयरन और मार्फिन हामता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित भाईंगिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक हीब्र / संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खण्ड शास्त्र), जिला-उत्तर बरसर कांकेर द्वारा जारी आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक हीब्र जैसे मंदिर, मरम्पट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिवर्षित हीब्र निर्मित होने अवश्य नहीं के साथ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. लीज संबंधी विवरण – लीज हीड मेसरी गोदावरी घावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के नाम पर है जो निम्नानुसार है—

Details	Lease Area	Date of Deed Execution	Period	Valid Up to
Lease Deed Execution for Kachche (Ardongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha	32.36 Ha	12.05.2015	50 years from 12.05.2015	11.05.2065
Lease Deed Execution for Kachche (Ardongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha	106.60 Ha	30.09.2008	20 years from 30.09.2008	30.09.2028
Amendment in Lease Deed for Kachche (Ardongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha for extension of validity period as per Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015	106.60 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058
Amalgamation of Kachche (Ardongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha and 106.60 Ha	138.96 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058

7. भू-स्थानिक्य – उत्तरनन डेतु कुल हीब्रकल 138.96 हेक्टेयर है, जिसमें से 127.4 हेक्टेयर वन भूमि एवं झेंड 11.56 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। साथ ही लीज हीब्र के बाहर 77 हेक्टेयर (63.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं झेंड 13.21 हेक्टेयर नियी भूमि) में ओवर बर्डन को भव्यास्ति/अपग्रहन किया जाना चाहाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दीर्घान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आवंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शास्त्र अनुसूची पर्यावरणीय स्थीरता का प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः झेंड 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आवंटन पत्र प्रस्तुत किये जाने वाला परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाना आवश्यक है। भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वापन दिनांक 04/08/2008 द्वारा जारी पत्र अनुसार 106.6 हेक्टेयर वन हीब्र को आरीडोगरी आयरन और मार्फिन के नाम पर शास्त्री को अधीन लायवर्सेन किया गया है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वापन दिनांक 19/02/2015 द्वारा जारी पत्र अनुसार 32.36 हेक्टेयर वन हीब्र को फारेट कम्पाटमेट नम्बर आरएफ 139(608) प्रान-कर्बे जिला-बरसर में आयरन और

माईन के लिए राती के अधीन प्राप्तवर्गन किया गया है। वर्णिति का भत है कि दिये गये शारी का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. बहुतपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम इहर दल्ली राजहरा 26 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन गुडगढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सामानी विक्रेतानन्द विमानपत्तन, माना, राष्ट्रपुर 157 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
10. पारिसिवितीय/ औद्योगिकता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 कि.मी. की लंबाई में राष्ट्रीय उदान, अभ्यासण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्लिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिसिवितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित औद्योगिकता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत अविकल बन पिंडाकोटटा, राजीविड्हा, तुंगोदापानी, मगारी जबलपुर, नाशुर एवं संस्थित बन कान्दे, लिंगोडीह, मारडेल, रनवाली हैं।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – लीज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.768 हेक्टेयर है। बत्तमान में ओफन कास्ट फ्लूली नेकेनाईज़ विधि से उत्खनन किया जाता है। ये व की कंपाई 8 से 6 मीटर एवं जोड़ाई 6 से 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ब्रावर स्थापित है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्लासिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण वियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 401 घनमीटर प्रतिदिन (आपरन और बेनिफिकेशन प्लांट के लिए 417 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रेट सप्लाइन के लिए 30 घनमीटर प्रतिदिन, इक्यूपर्ट लाइंग के लिए 8 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिलिंग एवं रोमिटेशन के लिए 46 घनमीटर प्रतिदिन) होगी, जिसमें से 300 घनमीटर प्रतिदिन को मू–जल से उपयोग किया जाएगा एवं जो 201 घनमीटर प्रतिदिन को माईन सम्प से जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। मू–जल की उपयोगिता हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन के लिए सेन्ट्रल यात्रण चैटर अधीक्षिती से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. मिनरल प्रोसेसिंग एवं बेनीफिकेशन – बत्तमान में 3 स्टेज लाइंग एवं स्टीमिंग क्षमता 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्थापित है। 250 टन प्रतिघंटा क्षमता का रखीनिंग को साथ छाई मेनेटिक सेपरेटर तथा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का लोलीराईट लाइंग एवं स्टीमिंग स्थापित है। प्रकल्पित कार्बोकल्चरप हेतु 1000 टन प्रतिघंटा क्षमता या ब्रावर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही लाइंग एवं रखीनिंग इकाई को प्रायमरी जी, सोकेन्डी एवं टरबिलिटी कोन लक्ष्य एवं स्टीम्स में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। बहुमान में समर्पित प्राप्त ली–योजना आपरन और बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर होना बताया गया है।
15. गृहारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारी और 7.5 मीटर की पट्टी वे तीन परियों में गृहारोपण किये जाने हेतु फैसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रस्ते–रखाच को लिए 5 क्वा (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकाचार व्यव का विवरण प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. खाद्यान की 7.5 मीटर की ओरीं सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के बारे में 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. प्रस्तुतीवरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि बेसलाईन जारी कर्तव्यवान का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/01/2022 के मध्य किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलक्ष्य इस परियोजना/खाद्यान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलक्ष्य भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का आ 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लघित नहीं है।

शामिल हुआ तत्वावधि सर्वेत्तमति को निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पक्कियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फॉर्सिंग, खाद एवं सिंचाई तथा इल-रखाव के लिए 5 वर्षी (30 वर्षिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकदार व्यय का विवरण प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. शासकीय राजस्व भूमि एवं निजी भूमि सहिती जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्र ही उत्खनन/भण्डारण हेतु भू-स्वामियों का सहनिति पत्र प्रस्तुत किया जाए (यदि आवश्यक हो)।
4. आसकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आवंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शात्र अनुसाय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आवंटन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान उत्पादन क्षमता के स्थिती में ले-आउट प्लान के एमएल काईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. क्षमता विस्तार उपरात से-आउट प्लान के एमएल काईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत किये गए सीईआर कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वापन दिनांक 04/08/2008 एवं 19/02/2015 हुआ जारी आपरन और माईनिंग के लिए दिये गये बन भूमि का आपवासन के रूपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकरात आगामी कार्यकारी की जाएगी।

उत्तराखण्ड सरकार एसडीएसी, उत्तराखण्ड की ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिवेश में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिकारक एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठाएँ पाइ गईं—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा नायपुर अटल नगर की ज्ञापन दिनांक 09/02/2023 द्वारा पूछे ने जारी समस्त पर्यावरणीय तक्षीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वित्तानुसार जारी का आंशिक एवं अपूर्ण पालन होना चाहता या गया है—
  - i. समस्त परिवेशीय वायु गुणवत्ता गोनिटरिंग रटेशन की स्थापना किया जाना चाहता या गया है, जिन्हें सी.पी.सी.सी. एवं सी.ई.सी.सी. के सहारे से कनेक्ट (Connect) नहीं किया गया है।
  - ii. ऐसे फिल्टर एवं वैक्यूम सक्षमता हूँड की स्थापना नहीं किया गया है। लैटर नियंत्रणित की जायेगी की गई है। स्थापित कन्वेयर बेल्ट पूर्ण स्थप से दक्ष बुर नहीं है।
  - iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समष्टि-समय पर उत्तराखण्ड रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
  - iv. अनुमोदित एवं प्राणी संख्या योजना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि सफल अपूर्ण जारी के संख्या में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।
2. एकीकृत लोज होड़ की सीमा में छारी और 7.5 मीटर की पट्टी में नियमानुसार बूझारोपण किया गया है। वर्ष 2009–10 से 2022–2023 तक कुल 1,25,635 पौधों रोपण किया गया है। पौधों का जीवन दर (Survival Rate) 90 प्रतिशत है। इसका विवरण तुलीय पक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

विगड़े वन क्षेत्र 5.014 कि.मी. (सेषटी जोन का फ़ैल गुण) होड़ पर बूझारोपण हेतु परियोजना की तागत सक्षि समय 15,04,200/- उत्तराखण्ड कैम्प मट में जमा किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना वित्तानुसार अनागंत सेषटी जोन 7.5 मीटर की पट्टी में तीन परियोजनाएँ में बूझारोपण किये जाने हेतु घटककार व्यय राहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार

Description	Within 7.5 m wide safety zone				
	2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28
Gap Filling in safety Zone of existing mining lease Area	Safety zone of additional 77 ha Lease area & Gap Filling in existing safety Zone Area		Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area

	Plantation Amount (With 90% Survival Rate)	96,012	11,87,012	7,31,012	3,88,012	2,45,012
15,000 Sampling Proposed to be planted	Fencing Amount	6,46,036	8,96,287.92	1,20,948	1,20,948	1,20,948
	Amount of Cow dung & manure	8,793.38	1,01,033.38	63,728.38	35,413.38	24,728.38
	Amount of Watering, Canning & Maintenance	6,14,852	6,87,012	8,60,402	6,39,402	5,30,402
	Total Amount = 78,96,994.9	16,64,693.38	28,51,346.3	14,76,090.38	10,83,776.38	9,21,090.38

3. शारकीय राजसव भूमि के आबंटन संबंधी प्रस्तावित एवं नियती भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकोर के आदेश दस्तावेज़ / 113 / कले / रीडर / 2021 कांकोर, दिनांक 22 / 05 / 2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावित परियोजना हेतु अजीन की जा रही अतिरिक्त भूमि पर आवरण और उत्तमन से प्राप्त ओवर बैंडन एवं रिजेक्टस की वैज्ञानिक पहचति से हम्य किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त भूमि पर उत्तमन नहीं किया जाएगा।

4. शारकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.05 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शार्त अनुलय पर्यावरणीय स्थीरता क्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शीष 61.14 हेक्टेयर राजसव भूमि का आबंटन पत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकोर में प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकोर के आपन दस्तावेज़ 1585 / अ.वि.अ. / रीडर - ३ / 2022 भानुप्रतापपुर, दिनांक 22 / 11 / 2022 द्वारा कलेक्टर (खणिज लाभ), जिला-उत्तर बस्तर कांकोर की रिजेक्ट / रेस्ट मटरियल हम्य करने हेतु शारकीय भूमि आवृत्ति करने वाला प्रेक्षित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। सामिलि का यत है कि आवरण और उत्तमन की दीर्घ प्राप्ता ओवर बैंडन / रिजेक्ट के वैज्ञानिक पहचति से हम्य करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि की समाहित करते हुये (कुल प्रस्तावित हेक्टेयर 215.96 हेक्टेयर आवरण और माईन क्लामा 60 लाख टन प्रतिवर्ष हेतु) समामेलन माईग्रेंज प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान व्यवसे से अनुमोदित माईग्रेंज प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य शारान से समामेलन लीज लीड / एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. पर्यावरण उत्पादन क्षमता की रिप्टिंग में हे-आठट प्लान के एम.एल. काईल सहित प्रस्तुत किया गया है।
6. क्षमता विभार उपरोक्त की रिप्टिंग में हे-आठट प्लान के एम.एल. काईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत किये गए सीईआर कार्यों का पूर्ण पालन किये जाने वाले प्रतिवेदन/जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
8. कार्यालय बनागण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर बनागण्डल भानुप्रतापपुर के छापन क्रमांक / मा.पि./ 2023 / 1317 भानुप्रतापपुर, दिनांक 23 / 02 / 2023 द्वारा बन गएकान अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत उत्थानन प्रकरणों के अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आशिक अपूर्ण शर्तों को पालन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रक्रियालीन शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आवंटन पर साझा अधिकारी/राज्य शासन सी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत किये गए सीईआर कार्यों का जारी पूर्व फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित हेक्टेयर, आयरन और माईन क्रमता 60,00,000 हेक्टेयर के प्रतिवर्षी हेतु समामेलन मार्डिनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान घूसी से अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समामेलन लीज डील/एलओआई (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वालित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के छापन दिनांक 18 / 05 / 2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03 / 06 / 2023 एवं 26 / 06 / 2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

#### (स) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2023:

समिति द्वारा नवती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर सी प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आशिक अपूर्ण शर्तों को पालन के संबंध में एकान टेक्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार—
  - i. सतत परियोजनीय वायु गुणवत्ता मीटिंगिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है, किन्तु सी.पी.सी.डी. एवं सी.ई.सी.डी के रायर ही कनेक्ट (Connect) किया गया है।
  - ii. स्थापित कनेक्टर बैंक पूर्ण रूप से केनोपी (canopy) द्वारा ढका जाएगा, जिससे पर्यावरणीय डस्ट उत्थानन मिटायिए रहेंगे। अतः बैंक पिलटर एवं दैवयूम सक्षम दूष की आदरशकता प्रतिपादित नहीं होती है।
  - iii. मार्डिनिंग लीज एरिया के अंतर्गत कोई भी आरामाह दोत्र शामिल नहीं है।

- v. लौक सुनवाई के दौरान उठाये गये किन्तुओं हेतु टाईम बीच एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है।
- v. परियोजना प्रकाशक द्वारा समय-समय पर उभासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
- vi. अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण कोजना हेतु 130 लाख रुपये राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ केंद्र में जना की गई है, जिसके बालान की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- vii. कृषिग एवं खनिंग संबंध में ऐन फिल्टर उपलब्ध कराया गया है। जबकि डीएफडीएस सिस्टम डस्ट कलेक्टर/वैन फिल्टर की तुलना में अत्यधिक प्रभावी है। उभी डस्ट जनरेटिंग प्लाइन्ट्स पर डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जल स्पे व्यवस्था स्थापित की गई है एवं फीड हॉपर, कीड लथा डिस्चार्ज कनेक्टर, ट्रांसफर प्लाइट आदि पर डीएफडीएस सिस्टम प्रदान की गई है।
2. छत्तीसगढ़ नू-राजस्व सहिता, 1959 (यथा सशोधित) की घारा 247(2) के प्रावधानों के अनुशार शासकीय राजस्व भूमि के आबंटन हेतु आवेदन कार्यालय कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर में प्रक्रियालीन है। अतः आबंटन यत्र की प्रति इआईए/इएमपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने वायत शपथ यत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व में जारी परावरणीय स्वीकृति के तहत किये गए सी.इ.आर. कार्ड का व्याप एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. प्रत्यावित होकर 215.96 हेक्टेयर आधरन और माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु समागमित माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त क्षमता एवं होकर 215.96 हेतु भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति उक्त समागमित लीज डील/एलओआई (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर इआईए/इएमपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने वायत शपथ यत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा विद्यार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-**

1. आवेदित खदान (ग्राम-कल्हे एवं पर्वतोढ़ी) का रक्का 215.96 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी-१ श्रेणी की है।
2. समिति द्वारा विद्यार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकल्प बी-१ केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण टन और जलवायु परिवर्तन संबंधित द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकल्पित स्टैण्डर्ड टनों ओफ रिफरेंस (टीओआर) कोर इआईए/इएमपी रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एकटीलिटीज रिस्यायरिंग इन्वायरमेंट कलीयरेस अप्रैल इआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी १(ए) एवं २(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लौक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं गिनरल केनीफिलिएशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ प्रक्रियालीन सेव ८1.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन यत्र सक्षम अधिकारी/राज्य शासन से प्राप्त कर एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की हती के अधीन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई-

- i. Project proponent shall submit closure report of partially / non complied conditions of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit amalgamated Mining Plan duly approved by IBM for a production capacity of 60,00,000 TPA (Total project land 215.95 ha. including proposed additional area 77 ha.) will be submitted alongwith EIA/EMP Report.
- iii. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OB/waste material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha.
- iv. Project proponent shall submit the revised project cost of the amalgamated project.
- v. Project proponent shall submit an affidavit that the trees falling in 7.5 meter width of additional land 77 ha. will not be cut.
- vi. Project proponent shall submit the details of the trees standing in additional land 77 ha. and details of the trees standing in 7.5 meter width.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit that the trees standing in 77 ha. area shall not be cut without the permission of competent authority (State Government).
- viii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- ix. Project proponent shall submit the detail proposals of gulland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- x. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- xi. Project proponent shall submit performance report of Baseline Data Generation for preparation of EIA Study Report.
- xii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- xiii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year 2021-22.
- xiv. Project proponent shall submit the Environment Management Plan in detail in accordance to MoEF & CC guidelines and EIA Manual.
- xv. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- xvi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xvii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing

- xviii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xx. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xxi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery of mining lease area (215.95 Ha) & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall submit the slop stability of dumping.
- xxv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area (215.95 ha.) as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of plants of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ति/जामकारी/दस्तावेज का अपलोड किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाँ सुपरत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अतिरिक्त टीओआर के शर्ते क्रमांक "i. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OBwaste material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha." के स्थान पर "ii. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OBwaste (refuge as per Mines Act, 1952) material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha." पढ़ा जाए।**

साथ ही प्राधिकरण द्वारा निम्न अतिरिक्त शर्ते "Project proponent shall submit amalgamated Mining Plan duly approved by IBM for a production capacity of 60,00,000 TPA (Total project land 215.95 ha. including proposed additional area 77 ha.) at the time of submission of draft EIA to CECB for Public Hearing." के

अधीन टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को साझा टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

19. गैरार्स श्री रीमेट लिमिटेड (भोहरा (ब्लॉक-ए) लाईम स्टोन ब्लॉक), याम-मोहरा, तहसील-सिंमगा तथा याम-पत्थरछुआ एवं भालुकोना, तहसील-पत्तारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2121)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोज्यल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 81526 / 2022, दिनांक 02 / 08 / 2022 हारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत आवेदन में कमियों हीन से ज्ञापन दिनांक 17 / 08 / 2022 हारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा वांछित जानकारी दिनांक 14 / 11 / 2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित बूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान याम-मोहरा, तहसील-सिंमगा तथा याम-पत्थरछुआ एवं भालुकोना, तहसील-पत्तारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित याम-भालुकोना, तहसील-पत्तारी स्थित खदान क्रमांक 1, 2 एवं अन्य 50 खासरे, याम-मोहरा, तहसील-सिंमगा स्थित खदान क्रमांक 1673 / 1, 1673 / 2 एवं अन्य 34 खासरे, याम-पत्थरछुआ, तहसील-पत्तारी स्थित खदान क्रमांक 144, 154 एवं अन्य 327 खासरे कुल क्षेत्रफल- 127.046 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित Limestone Production- 1.50 Million TPA, Over burden- 0.16 Million TPA, Inter burden- 0.008 Million TPA, Screen Waste- 0.167 Million TPA, Top Soil- 0.012 Million TPA, Total Excavation- 1.847 Million TPA, Proposed Primary Crusher - 800 TPH & Secondary Crusher - 400 TPH along with Wobbler है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 76.57 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.री, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09 / 12 / 2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु शून्यित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16 / 12 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि तिवारी, मुख्य कार्यपालक एवं पर्यावरण राज्याधिकार के संघ में मेसासे लोएम इन्ड्यास्ट्रीजेट प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव की ओर से डॉ. अनिल गुप्तार कियोंटी प्रस्तुत किया गया। समिति हारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर शिख सिद्धि पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्तरानन एवं कङ्कर की रक्षापना के संबंध में याम पंचायत फुण्डहर्डीह का दिनांक 27 / 09 / 2022, याम पंचायत मुसुवाईह का दिनांक 14 / 10 / 2022 एवं याम पंचायत मोहरा का 11 / 11 / 2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्तराखण्ड योजना – माईनिंग प्लान विश्व ध्रोरीसिंह माइन कलोजर प्लान प्रस्तुति किया गया है, जो होकीय खान नियंत्रक, भारतीय खान बूरो के द्वापन छानाक /बलीदा-भाटा/चृप/खादी-1331/2022 रायपुर दिनांक 20/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-बलीदाबाजार-भाटापारा के द्वापन क्रमांक 564/तीर-6/न.क्र./2022, बलीदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, जिनमें 5,983 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-बलीदाबाजार-भाटापारा के द्वापन क्रमांक 564/तीर-6/न.क्र./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध या जल परिवहन करने काली संरक्षण अवया अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, अफिल 200 मीटर की परिधि में माइनर नहर एवं दक्षिण दिशा में बरसाती नाला स्थित है।
6. एलओआई संबंधी विवरण – एलओआई मेसर्स बी सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वापन क्रमांक/एफ 3-05/2020/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी जैला जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।
7. घू-स्वामित्व – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल भूमि 137.046 हेक्टेयर में से 1.744 हेक्टेयर शासकीय भूमि, 0.101 हेक्टेयर बाजागाह भूमि एवं 125.201 हेक्टेयर भूमि मेसर्स बी सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है। युल क्षेत्रकल 127.046 हेक्टेयर क्षेत्र को नक्शे में चिह्नित (को-ऑर्डिनेट्स सहित) कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का नत है कि घू-स्वामित्व की जानकारी खसरावार सारणीकरण कर (Tabular form) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – कर्व 2019 वर्ष डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय उत्तराखण्ड साधारण विभाग, बलीदाबाजार के द्वापन क्रमांक/ताकनीकी/ खनिज/2500 बलीदाबाजार, दिनांक 12/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र की सीमा से लगभग 7.42 किमी. की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के एन.एल. फाईल से देखने पर आवेदित क्षेत्र बाटनदापारा बन्यजीव अभ्यापण की सीमा से लगभग 27 किमी. की दूरी पर होना पाया गया।
10. महत्वपूर्ण संरक्षनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-पालसरापुआ 150 मीटर एवं असपताल रेगाडीह 3 किमी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानन्द विभानतल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर 42 किमी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किमी. दूर है। टेलना नाला 170 मीटर, वितवर नाला एवं महानदी नहर 500 मीटर दूर हैं।

11. पारिवर्षिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उत्कर्ष अभ्यासण, कैन्टीय प्रदूषण नियन्त्रण कोई द्वारा घोषित किटिकली पील्युट्रैड एरिया, पारिवर्षिकीय संवेदनशील क्षेत्र या स्थापित जैवविविधता क्षेत्र सिद्ध नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिसेलीजिकल रिजर्व 56,847 मिलियन टन, नाईनेशल रिजर्व 51,234 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर सीढ़ी सीमा पट्टी (उत्कर्षन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर है। औपन जारी मैकेनाइज्ड विधि से उत्कर्षन किया जाएगा। उत्कर्षन की प्रस्तावित अधिकारत गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी बिट्टी मात्रा 0.388 मिलियन टन है एवं औपन जारी की मात्रा 5.554 मिलियन टन है। बैंब की ऊंचाई 12 मीटर एवं बीमाई 30 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में 2 क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता कम्पनी 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच है। ड्रिलिंग एवं कट्टोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिपकाव किया जाएगा। वर्षवार प्रत्यावर्तित उत्कर्षन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आसओएम उत्कर्षन (टन)
प्रथम	—	—	—
द्वितीय	—	6,333	63,333
तृतीय	—	11,111	111,111
चतुर्थ	—	13,889	138,889
पन्थम	—	16,667	166,667

#### आगामी वर्षों का उत्कर्षन विवरण

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आसओएम उत्कर्षन (टन)
प्रथम	5,366	22,222	222,222
सातम	5,366	22,222	222,222
आठम	5,365	55,556	555,556
नवम	5,366	111,111	111,111
दशम	8,260	1,66,667	166,666

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 100 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसने रो हस्त साप्रेशन (उत्कर्षन प्रक्रिया एवं क्रहने) हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, पेयजल तथा धरेतू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, बक्कासीप हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन तथा गृजारोपण हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्त्रोत/ नाल्यन संबंधी जानकारी एवं संबंधित किभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. गृजारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 9,300 नया गृजारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्कर्षन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्कर्षन नहीं किया गया है।

16. गैर मार्फतिग क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर में से 21.9 हेक्टेयर क्षेत्र को जास्त एक्सप्लोर नहीं किये जाने के कारण अव्याधित क्षेत्र (Undisturbed Area) रखा गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच क्षमता के 2 नग छाशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। छाशर को कवर है शेड में रखा जाना प्रस्तावित है तथा छाशर में दायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वैष किलोट लगाया जाना प्रस्तावित है। समिति का नाम है कि छाशर की रखापना निकटराम रहगासी क्षेत्र से दूरी रखते हुए ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए है।आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन छापा कलेक्शन का कार्य अपदूर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच किया जाएगा। इस संकेत में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दीर्घन बेसलाईन छापा कलेक्शन का कार्य 15 जनवरी 2023 तक किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

समिति द्वारा सत्त्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा) जिला-बलीदाबाजार-भाटापाता के छापन छानांक 664/टीन-६/नक./2022, बलीदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर आवस्थित 2 खदाने, रक्षा 5.983 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-मोहरा, पाथरखुआ एवं भालुकोना) का रक्षा 127.046 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-मोहरा, पाथरखुआ एवं भालुकोना) को बिलाकर कुल रक्षा 133.029 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिसर में स्थीकरण/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलरटर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' क्षेत्री की मानी गयी।

2. समिति द्वारा पिंडार पिंडी उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' के टैनरी का होने के कारण भालू सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिहर्सेस (टीओआर) पौर है।आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट पौर होजेक्ट्स/एकटीपिलीज रिक्यायरिंग इन्वेष्ट कंसार्टेस अपडर है।आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित अंगी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल मार्फिंग होजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति दी गई।

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil & overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/Suggestions raised by public) during Public Hearing.

- v. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with khakra number in tabular form & also submit the consent letter from land owners for uses of land (if required).
- vi. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- vii. Project proponent shall ensure that the establishment of crusher is away from the habitation and submit a layout plan with KML file and incorporate in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.
- x. Project proponent shall submit aerobiological study report.
- xi. Project proponent shall submit details of water balance chart & ETP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xx. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xxi. Project proponent shall submit the area details of crusher and details of pollution control arrangement in crusher.
- xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08 / 02 / 2023 को संपन्न 139वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किसी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. याचागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर को उत्खनन कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त हुई है अधिया नहीं को संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. Project Proponent has informed that total requirement of water will be 100 KLD for mining/industrial purposes. Since there is no letter comfort or in principal approval for drawl of said quantity of water from the concerned authority like C.G.W.A./WRD therefore proposal is being returned to SEAC to examine/appraise the above desired observations.
3. Project Proponent has submitted that 9,300 nos of trees shall be planted in the safety zone area of 7.5 meters. Since Project Proponent intends to mine cement grade limestone at the rated (peak production) capacity of 16,66,666 tons of ROM and limestone production capacity of 1.5 million tons per annum i.e. 15 lakh ton per annum. Therefore proposal needs to be re-examined in view of the aforesaid observation and 3-tier plantation in safety zone area will be required to prevent and control the mineral dust/fugitive emissions to minimize the impact of silica, alumina and iron in and around the surrounding habitation.
4. Project Proponent intends to install two crushers each with the capacity of 800 TPH and 400 TPH within the lease area, however there is insufficient information regarding the location of the proposed crushers, at layout plan. Therefore it is opined that the proposal needs to be re-examined to assess the pollution load of existing and after commencement of crushers operation and Project Proponent is required to submit the above said observations on KML file.
5. उपरोक्त तथ्यों के परिवेद्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशासा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सभी प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**(३) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21 / 03 / 2023:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अबलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार विष्यति पाई गई:-

1. याचागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने कानून जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 के परिपेक्ष में समिति द्वारा तत्समय गहन घर्षी उपरात अतिरिक्त जल (iii) को अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।
3. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष में समिति द्वारा तत्समय गहन घर्षी उपरात प्रस्तुतीकरण के हीरात लीज की 7.8 लीटर घीड़ी लीभा पद्धति (उत्खनन के लिए प्रतीबंधित होती) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर में 3 परिवेशों में 9,300 नग युक्तारोपण किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। अतः इस संबंध में समिति द्वारा अतिरिक्त जल (iii) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।
4. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष में समिति द्वारा तत्समय गहन घर्षी उपरात अतिरिक्त जल (iii) को अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि बारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने वाला अनुमति/जानकारी/दस्तावेज परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये जाने उपरात आगामी कार्यतात्त्वी ढी जाएगी।

हादानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा गर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठति पाई गई:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने वाला निम्न रूप्य प्रस्तुत किया गया है:-

*"This is greenfield mining project applied for TOR approval, as per the provisions of EIA Notification 2006, as amended there of and conditions of Letter of Intent (LOI) Letter has been issued by State Government of Chhattisgarh for Mohra (Block- A) Limestone Block for mineral Limestone over an area of 127.046 ha. in favour of Shree Cement Limited vide their letter no. F3- 05/2020/12, dated 31.01.2022.*

*Prior to initiate the mine working & excavation in Charagah Land, Permission will be obtained from the concerned state government department/s after execution of mining lease deed of the block area and before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevailing applicable rules.*

*In this respect, we are herewith also submitting an undertaking as commitment to obtain prior permission of Charagah Land before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevalent applicable rules."*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वदन पत्र (Undertaking) में प्रस्तुत तथा निम्नानुसार है:-

*"We will not initiate the excavation and mine working in the Gauchar Land area without obtaining prior permission from concerned state government department/s after execution of mining lease deed of the block area and before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevalent applicable rules. If, we not get the permission for mine working in Gauchar Land, we will*

excluded the Gauchar land area and left the access to Gauchar Land, we will also left the safety barrier all along the periphery of Gauchar Land."

उपरोक्त लघ्यों के परिपेक्ष में समिति द्वारा विचार विनाई उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022 में की गई अनुशंसा को आधार पर स्टैपल हीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं उन अनुशंसा की जारी है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकाशन पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संघन 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विनाई उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैपल हटाई और रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न असिस्टिंग नस्ती के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- i. Project proponent shall submit Cumulative Impact Assessment on riverine ecology and water bodies near the project area.
- ii. Replies have not yet been received for doubts/clarification required earlier. Same shall be submitted on time.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टम्बी औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

20. नेसरी श्री रामदूत इन्डिपेंडेंट लिमिटेड, प्लाट नं.-7, ग्राम-कोनारी, बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील-तिल्डा, ज़िला-शायपुर (सविकालय का नस्ती क्रमांक 2325)

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 430819/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप को तहत बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील-तिल्डा, ज़िला-शायपुर स्थित प्लॉट नं. 7, कुल क्षेत्रफल-3.844 हेक्टेयर में रि-हीटिंग फैर्नेस आपारित रोलिंग निल कमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से काञ्चनम 50,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कूल लागत 14.05 करोड़ होगी।

शायपुर अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी-एल्टीसागढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अववाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

1. भारत राजकार पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 की अनुसार "for all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in

existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said EIA notification, 2006 and shall be exempted from the requirement of public consultation" का उल्लेख है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार "All other non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates" का उल्लेख है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उक्त ऑफिस मेमोरेंडम की सदर्ने में भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली से नार्गिदर्शन/ स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली से नार्गिदर्शन प्राप्त होने के उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस ही ए सी, छत्तीसगढ़ की ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 के परिषेक्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठियाँ पाइ गईं—

भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली द्वारा ही—मेल दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है—

"Both OM of 2013 and Notification dated 20.07.2022 is self explanatory in nature."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है—

"we operate a rolling mill in an industrial area with valid CTO issued from CECB. We would like to undertake expansion of our facility from 30,000 TPA to 59,000 TPA. As this is an expansion proposal and not a regularization process, we believe that our case should be dealt as per Office Memorandum of MoEF&CC No. J-13012/12/2013-IA-II (I) dated 24.12.2013.

The communication in this respect with Member Secretary, Expert Appraisal Committee (Industry-1 Sector), Impact Assessment Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is also attached herewith."

उपरोक्त रूपयों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम को परिषेक्य में परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु औनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा

पर्यावरणीय सीमिति द्वारा औनलाइन आवेदन किये जाने के कारण से अवैधित प्रकरण जो निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

सीमिति द्वारा विचार किया हुएरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा इआईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संघन 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानवारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया हुएरात सर्वसम्मति से सीमिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का विर्यय लिया गया। इसी ही प्रस्ताव को कर्तमान में प्राप्त द्वारा मै एव्हावत डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि यह भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मञ्चालय द्वारा जारी इआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईललाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक अन्वयाद शायन के साथ संघन हुई।



(अकाश प्रसाद पी.)  
सदस्य सचिव,  
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन  
प्राधिकरण, सुनसीनगढ़



(देबाजीष दास)  
उत्तमा,  
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन  
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़